feelings of disaffection and jealousy does naturally arise when a senior employee in unreserved post becomes due for promotion on the basis of his seniority but another person from the reserved quota supersedes him and is given promotion. This situation arises because a huge backlog has been created in matters of appointment in services against reserved posts. Till that backlog is cleared, such problems will keep on arising. Therefore we demand from the Government that this backlog must be cleared expeditiously and new posts must be created to fulfil the reserved quota of promotions. This is my amendment and recommendations and I hope that my friend Shri Suraj Bhan will accept the same. One of my friends here said a little while ago that over the last four years 25,000 reserved posts have been dereserved. This is how a fraud is being played and the SC/ST people are being deprived. Even if we are able to stop this process, how many of the millions of unemployed SC & ST people can be provided with jobs ? The reason is that among the SC/ST people those who get the minimum education adequate enough even for Class IV posts, are very small in number Even if some are found among the scheduled castes, practically none is available among the scheduled tribes. The reason being that the scheduled tribes people mostly live in forest areas and the interior backward areas where facilities for their education is practically non-existent. Therefore, a large number of those people do not come for such jobs. Then in the rural areas we find that all those people who comprise the weakest sections like share-croppers, landless agricultural labourers etc., who are not educated and cannot move to the cities and complete for their jobs are mostly scheduled castes and scheduled tribes people and they are the largest in number. Ours is an agricultural country where most of the people are dependent on land for their living. The poorest among them like agricultural labourers, share-croppers etc. are mostly SC/ST people. Now we must try to improve their economic conditions. If they are given ownership of land and a good share in the agricultural produce raised by them, then only their economic and social status will improve and they will be able to provide education to their children. The economic upliftment of these poor people is of the utmost importance and top priority must be given to this aspect. Then only it will be possible to take them on the road to progress. Thus we see that the basic problem is related to the question of land reforms. Unless the poor agricultural labourers and sharecroppers are given ownership of land and the right to enjoy the agricultural produce raised by them, their condition will not improve and they will not be able to educate themselves and their children and will not be able to compete for the jobs in services. Therefore, I say that the root problem is related to radical land reforms and economic upliftment of the SC/ST people who are mostly to be found among the landless agricultural labourers and share-croppers. Unless these people are given ownership of land and right to the produce, their economic status cannot improve and they cannot get adequate education to compete for the jobs.

MR. CHAIRMAN : Mr. Bag, you can continue on the next occasion. Now we have to take up the discussion under rule 193.

---

18 00 hrs.

DISCUSSION ON REPORTED ECONOMIC CRISIS IN LANGUAGE, NEWS AGENCIES LEADING TO STRIKE AND LOCKOUT IN "SAMACHAR BHARATI" AND STRIKE NOTICE BY THE WORKERS OF "HINDUSTAN SAMACHAR"

MR. CHAIRMAN : Now, discussion under rule 193. Shri Mohd. Asrar Ahmad.

SHRI MOHAMMAD ASRAR AHMAD (Budaun) : Sir, I rise to raise a discussion on the reported economic crisis in the language news agencies leading to strike and lockout in "Samachar Bharati" and strike notice by the workers of "Hindustan Samachar" and the action taken by the Government in the matter.

इस सम्बन्ध में जितनी गन्दगी है, उसको छोड़ते हुए, मुख्य-मुख्य बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय हमारे पास चार एजेन्सियां हैं—हिन्दी की

समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार तथा अंग्रेजी की पी. टी. आई. और यू. एन. आई.। ये और जुबानों को भी कवर करती हैं। मगर दुख की बात है कि जहां इन एजेन्सियों के मन्थली या सालाना खर्चे का 90 प्रतिशत भाग सरकार वहन करती है, रोजाना इस सदन में डिस्कशन होती है कि हिन्दी को आगे बढ़ाया जाए तथा हमारे गांवों में मास-मीडिया तक हिन्दी में खबरें पहुंचाई जाती हैं, लेकिन हिन्दी एजेन्सियों का सिर्फ 25 प्रतिशत भाग सरकार वहन करती है, जबकि अंग्रेजी एजेन्सियों का शत-प्रतिशत भाग। मेरा सरकार से सुझाव है कि इन हिन्दी की दोनों एजेन्सियों को अधिक-से-अधिक रुपया देकर इनके काम को बढ़ाने की चेष्टा करें ताकि हमारी महामाननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के बीस-सूत्री कार्यक्रम को इम्पलीमेंट करने में आसानी हो, सरकार को इससे काफी मदद हो सकती है।

इसके बाद यहां लौक-आउट और स्ट्राइक आदि का जिक्र हुआ है। कोई भी आदमी लौक-आउट, स्ट्राइक या डिमोन्सट्रेशन तब तक नहीं करता, जब तक कि उस पर फिजीकली या मैन्टली टोर्चर न किया जाए। समाचार भारती में कर्मचारियों की महीनों की तनख्वाह गायब कर दी गई है, कर्मचारी खाने तक के लिए भूखों मर रहे हैं। फिर यदि वहां लौक आउट स्ट्राइक आदि होती है तो वह ही सम्भावित है। आखिर सरकार इतने दिनों तक क्यों चुप रही। जबकि उसका थोड़ा बहुत कन्ट्रोल उस पर था। फिर भी इतने दिनों तक क्यों सोती रही, किसने सोने को बाध्य किया। जिन कर्मचारियों या अधिकारियों को इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है, उनके विरुद्ध पता नहीं सरकार ने कोई कार्यवाही की या नहीं की। हमें सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच कोई समझौता हुआ है। लेकिन समझौते तो होते रहते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से कभी इम्पलीमेंट नहीं किया जाता। अब तक 15-20 रोज गुजर जाने के बाद भी उस फैसले को इम्पलीमेंट नहीं किया जा सका है। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है।

इसके अतिरिक्त मास-मीडिया के जरिए से, टैलैक्स और टैलीप्रिन्टर के जरिए से खबरें भेजी जाती हैं, मगर समाचार भारती हो या हिन्दुस्तान समाचार, सभी के कनैक्शन कटे हुए हैं और बहुत थोड़े से शेष हैं। हमें वगैर काम के तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। इसके लिए सरकार ने अब तक कोई सर्वे नहीं किया कि कैसे इसके काम को आगे बढ़ाया जा सकता है और वास्तव में इन एजेंसियों का काम बढ़ रहा है या नहीं। यदि सिर्फ तनख्वाहें देने से ही इन एजेन्सियों का काम सुधारा जा सके तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मगर जो तरीके से सामग्री वहां होनी चाहिए, जो चीजें होनी चाहिएं, वे ठीक काम कर रही हैं या नहीं, हमें देखना चाहिए। दूसरी बात मेरी यह समझ में नहीं आती कि जब हम किसी काम पर आज एक लाख खर्च करते हैं, तो कुछ समय बाद उसके लिए दो लाख या उससे भी ज्यादा खर्चे की आवश्यकता होगी, क्यों जब उसका काम बढ़ेगा तो हमें ज्यादा बजट चाहिए, लेकिन इन एजेंसियों का बजट कई सालों से वहीं-का-वहीं टिका हुआ है। हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को 17 लाख रुपया मिलता है और यू. एन. आई. तथा पी. टी. आई. को एक करोड़ रुपया। जहां तक शहरों तक खबरें पहुंचाने का काम है, ठीक है, यह पैसा एक सीमा तक कुछ उद्देश्य की पूर्ति करता हो, लेकिन जब खबरों को जल्दी फैलाने का सवाल हमारे सामने आता है तो एक ही हल हो सकता है कि पी. टी. आई. को समाचार भारती से जोड़ दिया जाए और यू. एन. आई को हिन्दुस्तान समाचार से। इससे एक ओर तो खर्चे में कमी आयेगी, और उसके

साथ-साथ खबरें शीघ्रता के साथ पहुंचाने में हमें आसानी हो जाएगी। मगर सरकार ने इस पर भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये मैं कहूंगा कि यह जो फर्क है रुपये का दोनों में वह क्यों है? आज भी जितने कर्मचारी हैं उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिल सकी और भूखों मर रहे हैं। रोज सदन में होता है कि भूखों को शेड्यूल्ड कास्ट्स को इतना-इतना रुपया देते हैं। तो क्या इन एजेन्सीज में काम करने वाले शेड्यूल्ड कास्ट्स से भी गिरे हुए हैं और उनको पूछा तक नहीं जाता? रोज कहते हैं कि न्यूज एजेंसीज चाहे रूलिंग पार्टी की हों या विरोधी दल की वह सही खबरें नहीं छापती हैं। तो दुनिया का कायदा है जब उनका पेट नहीं भरेगा तो वह सही खबरें नहीं छापेंगी।

इमरजेंसी के पहले सरकार ने इन एजेंसीज के दो टुकड़े कर दिये थे। उसके बाद जनता सरकार ने 4 कर दिये। अगर फिर इनके दो टुकड़े हो जायें तो बहुत सी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। सरकार ने जब प्रेस कमीशन बैठा रखा है, उनकी दो मुख्य रिकमन्डेशन्स हैं। सरकार यहां कहती है कि हम उनको इम्पलीमेंट करेंगे। लेकिन अभी तक तो इम्पलीमेंट नहीं हुई। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उनकी नीति क्या है? आया इन संस्थाओं को आप जिन्दा रखना चाहते हैं या नहीं? और अगर चाहते हैं तो किस तरीके से? इसका एक हल और भी हो सकता है कि स्वयं सरकार अपने कंट्रोल में ले ले और अपनी तरफ से चलाये, क्योंकि इस तरह से 'हिन्दुस्तान समाचार' और खास तौर से इस सरकार ने बी. जे. पी. के हाथ में बेचा था उस पर सब कंट्रोल बी. जे. पी. या आर. एस. एस. का है, उसमें अपोजीशन के ही कर्ताधर्ता हैं, लेकिन रुपया हमारा जाता है। हम चाहते हैं कि इस सोसाइटी को तोड़कर के एक नई सोसाइटी बनायी जाय।

इसी तरह से एक मांग यह भी है कि जनरल मैनेजर हो या कोई और उन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं उसे गिनाना नहीं चाहता, मगर इतना चाहता हूं कि उसकी आप अवश्य जांच करायें ताकि भ्रष्टाचार दूर हो सके।

इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं जब मैंने काल अटेंशन दिया था और इसको कन्वर्ट कर दिया गया 193 में बगैर मुझसे पूछे, मैं खड़े का खड़ा रह गया, मैंने मूव भी नहीं किया और अपोजीशन ने मांग की कि इसको 193 में कर दिया जाय और उपाध्यक्ष महोदय ने जबरदस्ती आज 15 दिन के बाद पूरे 6 बजे मुझे यहां पर आना पड़ा। हमारे उपाध्यक्ष महोदय तो मंत्रियों को बचायेंगे, लेकिन मेरी बात कभी नहीं सुनेंगे। मैं खड़े होकर कहना ही चाहता था मगर उन्होंने कहा हां, हां। मुझे इसका दुख है।...

सभापति महोदय : अब आप विषय पर आइये।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : इसलिये मैं चाहूंगा सरकार इस सिलसिले में अपनी नीति को बताये।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, इस देश में मात्र दो हिन्दी संवाद समितियां हैं। (1) समाचार भारती और (2) हिन्दुस्तान समाचार।...

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : नहीं 'यूनीवर्त' भी है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : ठीक है। मगर इन दो की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक है और हर वर्ष अपनी चिन्ता हम व्यक्त करते हैं और सरकार भी समय-समय पर आश्वासन देती है और कुछ-न-कुछ कार्यवाही करती है। 'हिन्दुस्तान समाचार' का प्रश्न हम लोगों ने

कालिंग अटेंशन के माध्यम से इसी सदन में उठाया था जिसमें श्री भगवत झा आजाद ने आश्वासन दिया था कि हम इसका प्रबन्ध सरकार के हाथ में लेकर चलायेंगे, अगर उनके संगठन से हमारा समझौता नहीं होता है। समझौता नहीं हुआ और उसके बाद 'हिन्दुस्तान समाचार' का प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया परन्तु उसमें कहां सुधार हुआ है, इस पर मैं बाद में आऊंगा।

'समाचार भारती' एक महत्वपूर्ण संवाद समिति है, जिसकी स्थिति आज बिगड़ी हुई है। इस पर हमें गम्भीरता से सोचना है कि कौन से ऐसे कारगर कदम उठाये जायें जिससे ये दोनों संवाद समितियां फिर से पुनरुज्जीवित हों ?

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक को पी. टी. आई. से जोड़ दिया जाये और एक को यू. एन. आई. से जोड़ दिया जाये। मेरा ख्याल है कि यह दोनों हिन्दी की समाचार एजेन्सियां हैं, इसलिये इनकी व्यवस्था अलग रहनी चाहिये और मेरा सुझाव है कि आप 'समाचार भारती' और 'हिन्दुस्तान समाचार' को एक साथ जोड़कर एक निगम बनाइये क्योंकि हर वर्ष सरकार इन्हें आर्थिक सहायता देती है और केवल कुप्रबन्ध के कारण ही हम समझते हैं कि हम इसको चलाने में सफल नहीं हो पाये हैं।

आप एक निगम बनाकर इसकी देखरेख अपने हाथ में लें। इस तरह की रिपोर्ट प्रेस कमीशन की है, कुलदीप नैय्यर कमेटी ने सिफारिश की है और पत्र समाचार संगठन ने भी इसी तरह की सिफारिश की है। इसलिये हम समझते हैं कि सरकार को इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

'समाचार भारती' में हमारे देश की राज्य सरकारों का 90 प्रतिशत हिस्सा है। जैसा मैंने बताया 'हिन्दुस्तान समाचार' आपने दिल्ली प्रशासन को सौंपा है, लेकिन इसके बाद भी हमें कारगर ढंग से इसमें सफलता नहीं मिली है। इसके दो-तीन कारण हैं।

ढाई वर्ष में इसके 4 प्रशासक बदले गये हैं, उनमें कोई वरिष्ठ पत्रकार नहीं लिया गया।

8 मैनेजर बदले गये हैं और एक महा-प्रबन्धक को 16 दिन में ही बर्खास्त कर दिया गया।

नालायक लोगों की बहाली की गई।

उर्दू, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, तेलुगु, पंजाबी और बंगला में समाचार देने के लिये उनको कोई सहायता नहीं दी गई।

प्रेस आयोग की दोनों रिपोर्टों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया।

कुलदीप कमेटी की रिपोर्ट पर भी कोई विचार नहीं हुआ।

गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के भाषा विकास कोष से कोई मदद नहीं दी गई।

अंग्रेजी समाचार एजेन्सीज को आर्थिक सहायता दी जाती है। ये कारण हैं जिससे हिन्दुस्तान समाचार की स्थिति में हम काफी सुधार नहीं कर पाये हैं।

इसके अधिग्रहण के बाद, दिल्ली प्रशासन के हाथ में जाने के बाद जो रिपोर्ट है, वह एक नजर में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :—

इसमें ग्राहकों की संख्या अधिग्रहण के पहले 165 थी और उसके बाद 115 है। मासिक राजस्व पहले 2 लाख 10 हजार था और बाद में वह 1 लाख 80 हजार है। अन्य स्रोतों

से आय पहले 30 हजार प्रति माह थी और बाद में शून्य है। वेतन बकाया पहले 3 महीने का था और आज 13 महीने का है। बोनस बकाया पहले 2 वर्ष का था और अब 4 वर्ष का है। भविष्य निधि बकाया पहले साढ़े 4 लाख थी और आज 10 लाख। कर्मचारी राज्य बीमा बकाया पहले 1 करोड़ 20 लाख थी, आज 2 करोड़ 7 लाख है। डाक-तार विकास का बकाया पहले 9 लाख था, आज 18 लाख है।

इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें भी हम व्यापक सुधार नहीं कर पाये। इसलिये मेरा सुझाव है कि दोनों एजेन्सियों को मिलाकर एक निगम बनाइये और इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लीजिये।

कुशल-पत्रकारों को इसमें भेजिये ताकि इसको पुनरुज्जीवित किया जा सके और जो सस्ते व सुलभ ढंग से हिन्दी भाषा में या अन्य भाषाओं में जिला स्तर तक समाचार छापते हैं, जो अखबार निकालते हैं, उनको भी मदद मिले और सस्ती दर पर उनको समाचार मिलें। इसलिये इन दोनों एजेन्सियों को मजबूत करने में सरकार को सचेष्ट होना चाहिये।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सभापति महोदय, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार, हिन्दी की ये दो प्रमुख एजेन्सियां जिस संकट से गुजर रही हैं और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार अब तक हुआ है, उससे प्रतीत होता है कि इस देश में हिन्दी की जो उपेक्षा हो रही है, ये संस्थाएं भी उस उपेक्षा का शिकार हो रही हैं।

प्रैस और विशेष रूप से देश की भाषाओं से सम्बन्धित प्रैस को अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इन एजेन्सियों को हड़ताल और तालाबन्दी के संकट से गुजरना पड़ रहा है, मनमाने ढंग से लोगों को निकाला जाता है, नियुक्तियों में भी घपला हो रहा है और घाटा बराबर बढ़ता जा रहा है, उससे प्रकट है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अपने कर्त्तव्य पालन में असफल रहा है और यह चिन्ता का विषय है।

पत्रकारिता हमारे प्रजातंत्र का स्तंभ और आधार है। जहां हम लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एक्सीक्युटिव को महत्व देते हैं, वहीं पर हमारे यहां फ्री प्रैस भी होना चाहिए। लेकिन वहां पर फ्री प्रैस कैसे हो, जहां पत्रकार अपनी रोजी-रोटी के लिए जूझ रहे हों ?

हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, जिससे देश की एकता हो सकती है। उस भाषा के साथ गुजराती, बंगला, तेलुगू, उर्दू और मराठी आदि हमारे राज्यों की भाषायें जुड़ी हुई हैं। अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है। यहां ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं, जिनमें अंग्रेजी खूंटा गाड़ कर बैठ गई है। लेकिन अगर हिन्दी और राज्यों की भाषाओं को विकास का मौका मिला होता, तो वे जन-जन तक पहुंची होतीं और उससे देश के लोगों की ज्ञान-वृद्धि हो गई होती।

मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दी तथा राज्यों की भाषाओं से सम्बन्धित इन समाचार एजेन्सियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इंगलिश की एजेंसियों को 80-90 लाख रुपए आकाशवाणी और दूरदर्शन से दिलाए जाते हैं, जबकि हिन्दी की इतनी उपेक्षा की जा रही है कि उसकी समाचार एजेंसी को केवल 6-7 लाख रुपए मिलते हैं। वास्तव में हमें हिन्दी और देशी भाषाओं का पोषण करना चाहिए और उन्हें दस बारह गुना अधिक सहायता देनी चाहिए, लेकिन उनसे सम्बन्धित एजेंसियों को केवल नाम-मात्र की सहायता दी जाती है। अंग्रेजी देश के जन-जन की भाषा

नहीं है। वह देश के देहात और कस्बों में नहीं पढ़ी जाती। देश का बहुत बड़ा वर्ग उसको समझ नहीं पाता है। उसको बढ़ाने के लिए सरकार लाखों रुपए की व्यवस्था करे और हिन्दी की उपेक्षा करे, यह बहुत चिन्ता का विषय है।

अभी कुछ दिन पहले टेलीविजन पर बताया गया कि समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार की एक परामर्शदात्री समिति बनी है, उसका अध्यक्ष इस सदन के माननीय सदस्य, श्री अरुण नेहरू को बना दिया गया है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : श्री अरुण नेहरू का उनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई पेपर किसी बात को छाप देता है, तो वह वास्तविकता नहीं हो जाती। इसका खंडन हो चुका है। इस तरह की गलत बयानी करना उचित नहीं है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : या तो माननीय सदस्य इस्तीफा दे देंगे या मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर रेडियो, टी वी पर यह न्यूज न आई हो। यह बात भी सही है कि अगले ही समाचार में उसका खण्डन भी किया गया था।

आचार्य भगवान देव : जब खण्डन कर दिया गया था तो उसको यहां पर कहने और गलत-बयानी करने की क्या जरूरत है ?

(व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह कश्यप : टेलीविजन पर यह समाचार आता है कि इस परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष श्री अरुण नेहरू को नियुक्त कर दिया गया है।

सभापति महोदय : वह बात तो खत्म हो गई, उसको आप क्यों दोहरा रहे हैं ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप : सभापति महोदय, प्रश्न यह उठता है कि उस समाचार का खण्डन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इसका मतलब यही है कि कुछ ऐसे खेल खेले जा रहे हैं जिससे कि इन हिन्दी समाचार एजेंसियों को कुछ लोगों द्वारा सत्ता का लाभ उठाकर अपने कब्जे में रखा जा सके।

जहां तक इनके कर्मचारियों की स्थिति का सम्बन्ध है, कितने लोगों को निकाला गया है, किस तरह से भर्ती की गई है और कितने अर्से से उनको वेतन नहीं मिल रहा है ? सरकार को तुरन्त ही दोनों हिन्दी एजेंसियों की सुरक्षा के लिए उनको संरक्षण देने के लिए और उनको जीवित रखने के लिए इतनी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए कि वे जीवित रह सकें। यदि यह एजेंसियां जीवित नहीं रहती हैं तो यह हमारी भाषा और हमारे देश का अपमान होगा। उनको जीवित रखना हमारा कर्त्तव्य है और उसके लिए सरकार को सहायता करनी चाहिए। हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए सरकार ऐसा करती है, विदेशों के भी चक्कर लगाए जाते हैं तो हमारे देश की जो एजेंसियां हैं उनके लिए सरकार के द्वारा कम-से-कम एक करोड़ रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए और उनको जीवित रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज एक संस्था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले है और दूसरी एजेंसी कोआपरेटिव के अधीन चल रही है। उनमें इतनी हानि हो रही है कि एक-एक साल के वेतन नहीं दिए जा सकें हैं। इनके अलावा जो दूसरी समाचार एजेंसियां हैं, अंग्रेजी भाषा की, उनमें 90 और 99 परसेन्ट तक शेयर राज्य सरकारों के हैं जबकि इन एजेंसियों में घाटा रहता है, पत्रकार नुकसान में रहते हैं। यदि सरकार उनको स्वयं नहीं चला सकती तो एक निगम बना दिया जाए। प्रेस कमीशन ने अपनी सिफारिशों में एक सिफारिश

यह भी की थी। प्रेस कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में आप क्यों हिचकिचा रहे हैं ?

जहां तक इन एजेंसियों के प्रति भेदभाव बरतने का सम्बन्ध है, अखबारों के जो मालिक हैं वे अंग्रेजी टेलीप्रिंटर के लिए 20 हजार शुल्क देते हैं जबकि हिन्दी अखबार वाले 1700 रुपया ही देते हैं—यह कितना बड़ा भेदभाव है ? किस तरह से हिन्दी को दबाया जा रहा है और किस तरह से इन एजेंसीज को दबाने की कोशिश की जा रही है ? इसके जो संवाददाता हैं वह पार्ट-टाइम चल रहे हैं, उनको वेतन के नाम पर बहुत कम मिलता है। जिला, तहसील तथा अन्य स्तरों पर जो पार्ट-टाइम रिपोर्टर काम करते हैं उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, उनका वेतन नाम-मात्र का है, 40-50 रुपए में वे कैसे काम चला सकते है ? इन संवाददाताओं पर भी पालेकर एवार्ड लागू किया जाना चाहिए और उनको वही वेतन व सुविधायें मिलनी चाहिए जिससे कि वे पत्रकारिता का काम सही एवं सुचारु रूप से कर सकें। एक विश्वास पैदा हो सके, वरना हम निष्पक्ष स्वतन्त्रता पत्रकारिता को इस देश में दे नहीं पायेंगे।

अभी समाचार भारती के महप्रबन्धक ने इस्तीफा दिया है, जिसकी मांग बराबर कर्मचारियों और संवाददाताओं द्वारा रही है कि उनको पद से हटाया जाए। कहा जाता है कि उनकी वजह से भ्रष्टाचार, कदाचार सारे का सारा चल रहा था। उनके कामों की वजह से एजेंसी फेल हो रही थी। मैं चाहता हूं कि इस बारे में सी. बी. आई. की इन्क्वायरी होनी चाहिए। जो लोग दोषी पाये जायें, उनको सजा दी जानी चाहिए। श्री यू. एस. गांधी द्वारा कभी एक नाम से और कभी दूसरे नाम से टेलीफोन होते रहते हैं और गलत काम करते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं, जो गलत नामों से काम कर सकते हैं। यह बड़े शर्म की बात है, इस पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

जहां तक इसको जीवित रखने का सवाल है, यदि आप इसको निगम नहीं बना सकते हैं तो यू. एन. आई. और पी. टी. आई. एजेंसी के साथ एक-एक को जोड़ दीजिए। ताकि वे जीवित रह सकें और उनका काम सुचारू रूप से चल सके। कानून में भी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि संवाददाताओं, प्रेस रिपोर्टर्स के कर्मचारियों का शोषण न हो सके। कानून इतना कमजोर है कि पालेकर एवार्ड आने से पहले ही सैकड़ों-लाखों कर्मचारियों को हटा दिया गया। इसकी वजह से हर जिले में सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। अनेक संवाददाता और पत्रकार इसके शिकार हुए हैं। संसद में भी मामला आया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। उनको कोई इन्साफ नहीं मिल पाया। समाचार भारती के निर्देशक मंडल द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया जाए। ऐसा खेल खेला जाए ताकि संवाददाताओं और कर्मचारियों से बदला लिया जा सके। उनको इस तरह से विघटित कर दिया जाए कि कुछ लोगों को दूसरी एजेंसी में ले लिया जाए। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से बोर्ड आफ डायरेक्टर्स सामूहिक त्याग पत्र देकर डिजोल्व करने पर तुले हुए हैं, उनके ऐसा करने से पहले ही सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। जिन लोगों को अभी तक वेतन नहीं मिला है, जो बोनस उनका तय है, इसको अदा करने के लिए सरकार को अपने पास से व्यवस्था करनी चाहिए।

यह मामला कई मंत्रालयों से जुड़ा हुआ है। सूचना मंत्री, शिक्षा मंत्री, श्रम मंत्री और गृह मंत्री—चारों मंत्री बैठकर इस सम्बन्ध में

परामर्श करके एक निष्कर्ष पर पहुंचें, ताकि इन दोनों समाचार एजेंसियों की रक्षा हो सके और उन्हें संरक्षण मिल सकें। वैसे श्रम मंत्री, श्री विरेन्द्र पाटिल और राज्य मंत्री श्री धर्मवीर द्वारा इसके समाधान के लिए प्रयास भी किया गया है। संवाददाताओं और कर्मचारियों द्वारा उनको दिल से धन्यवाद दिया है। मैं समझता हूं कि यदि इस समस्या के समाधान की इच्छा है, तो इसके समाधान में अधिक समय नहीं लगेगा।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी दोनों एजेंसियों की समस्याओं के समाधान के लिए गोल मेज कांफ्रेंस बुलायें, उसमें उनके प्रतिनिधि, मालिक या डायरेक्टर्स वगैरह बैठें और सरकार के चारों मंत्रालयों के प्रतिनिधि बैठकर सारी समस्याओं की चर्चा करके उनका कोई समाधान निकालें। यही कहते हुए मैं माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से इस ओर ध्यान दिलाता हूं ताकि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाना चाहिये और इन समाचार एजेंसियों को संरक्षण मिलना चाहिये।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति महोदय, मैं इन दो एजेंसियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं। मुझे कोई नया सुझाव नहीं देना है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों समाचार एजेंसियां फलें-फूलें, पनपें और बढ़ें। कैसे बढ़ें – यह सम्यक रूप से माननीय मंत्री जी को सोचना है। हिन्दी का विकास हो, हिन्दी समाचार एजेंसियों में लगे हुए लोग किसी-न-किसी तरह से अपनी प्रतिष्ठा कायम रखते हुए इसकी सेवा कर सकें—ऐसी मैं विनती करूंगा।

मैं अभी श्री जयपाल सिंह कश्यप का भाषण सुन रहा था, मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है, लेकिन इधर समाचार भारती को लेकर कुछ बातें अखबारों में आई है, उनके जनरल मैनेजर को लेकर कुछ बातें आई हैं। मैं किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में या बचाव में बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य न हो, उस पर डायरेक्ट एलीगेशन लगाना हम लोगों की मर्यादा के अनुरूप नहीं होगा। समाचार भारती या हिन्दुस्तान समाचार, जो भी एजेंसी हो या उसके जो भी कमचारी हों, चाहे वे जनरल मैनेजर हों या संवाददाता हों या पीअन हों, अगर उन्होंने कोई अपराध किया है, कोई गलती की है, तो उस पर प्रापर एन्क्वायरी होनी चाहिये तथा उसके लिये नियम बने हुए हैं। इसमें कम्पनी ला अफेअर्स का मामला उठता है, कम्पनी ला अफेअर्स वाले उसको देख सकते हैं। मंत्रालय भी इसमें इन्टरफीअर कर सकता है, एक इण्डिपेंडेंट बोर्ड बना सकता है, वह भी इन्क्वायरी कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उस पर डायरेक्ट एलीगेशन लगाना उचित नहीं है।

जहां तक इन दोनों समाचार एजेंसियों की वित्तीय स्थिति का सवाल है, मैं देख रहा हूं ये प्राय: घाटे में चल रही हैं। आज से नहीं 1980 से इनमें घाटे की प्रक्रिया चल रही है। इसके एम्पलाइज, खासकर संवाददाता जो इन एजेंसियों में लगे हुए हैं, दूरदराज के शहरों में या जिलों में लगे हुए हैं—उनको बहुत परेशानी है। उनके सामने जीवन-यापन का सवाल पैदा होता है। उन्हें कैसे विश्वास दिलाया जाय कि कल उनका भविष्य खराब नहीं है—यह आपको अवश्य सोचना चाहिये। उनका भविष्य खराब न हो; वे दृढ़ता से, मजबूती से निष्पक्ष समाचार दे सकें और हिन्दी की सेवा कर सकें—इस तरह की व्यवस्था हमको करनी चाहिये।

मैं विशेष न कहकर यही सुझाव देना चाहता हूं—मंत्रालय के स्तर पर एक छोटी समिति गठित कर लें जिसके सामने सभी पक्षों को बुला कर उनकी बात सुन लें। एम्पलाइज, मैनेजमेंट, बीर्ड आफ डायरेक्टर्स सबको सुनें और जो फैसला आप करें आपका वह फैसला अन्तिम हो। किसी इण्डिपेन्डेंट स्माल कमेटी से जांच करवा लें और उसके जो सुझाव आयें उनको अमल में लायें। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि इन दोनों एजेंसीज को मजबूत बनाने के लिये, सुदृढ़ बनाने के लिये, सरकार शीघ्र उपाय करे।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : अधिष्ठाता महोदय, मुझे घर जाना था, आपने मुझे बुला कर जो कृपा की है उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है—इस बात का दुख होता है कि इस देश में जिसकी राष्ट्रभाषा हिन्दी है, वहां हिन्दी में समाचार निकालने वाली एजेन्सीज संकटग्रस्त हों, उनमें काम करने वाले संकटग्रस्त हों और वे घाटे में चल रही हों और उनकी उपेक्षा हो और समाचार एजेंसियां जो उस भाषा में चल रही हैं, जिसको विदेशी भाषा कहा जाता है, वे अच्छे ढंग से चल रही हों, उनकी हर तरह से मदद की जाती हो—यह इस देश के लिये और इस सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि इस देश से अंग्रेज चले गये लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। सरकार भी अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही है और माफ कीजिए अगर मैं यह बात कहूं कि उस रास्ते पर केवल इसलिए चल रहे हैं और अंग्रेजी को हमने इसलिए अपनाया है कि आम व्यक्ति इस देश की सरकार की भाषा, सरकार का काम, सरकार की चालाकी, सरकार की चतुराई और किस तरह से वह लूट-खसोट का काम करती है, उसको आम जनता न जान सके क्योंकि वह अंग्रेजी पढ़ी-लिखी नहीं है। आज आम आदमी अंग्रेजी नहीं जानता गांव की अपनी भाषा जानता है और इस देश का 75 परसेन्ट व्यक्ति ऐसा है, जो हिन्दी को जानता है, समझता है, लिख लेता है, पढ़ लेता है और बाकी जो 25 प्रतिशत हैं, वे ऐसे लोग हों जो हिन्दी लिख न पाते हों लेकिन समझ तो वे भी लेते हैं। तो मेरा यह आरोप है कि इन 37 सालों में आपने हिन्दी को प्रोत्साहन केवल इसलिए नहीं दिया कि इस देश के 70 करोड़ लोग आपकी चालाकी और चतुराई को न समझ सकें।

'हिन्दुस्तान समाचार' और 'समाचार भारती', इन दोनों एजेंसियों के मामले मेरे पास भी आए थे और जब यह मामला मुझे मालूम हुआ, तो मुझे याद है, मेरे पास कापी भी है, कि 14.12.83 को मैंने प्रधानमंत्री जी को ब्यौरे के साथ यह दो पेज का पत्र लिखा और इस पत्र की कापी सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री को भी भेजी। प्रधानमंत्री जी के पास से मेरे पास यह जवाब आया कि मैंने इसको संबंधित मंत्री को भेज दिया है और वे उस मामले को तय करें और सुनिश्चित करें। मंत्री जी की ओर से उनके पी. ए. का जवाब मेरे पास यह आया कि मंत्री जी अभी हैं नहीं, जब आएंगे, तो उनके सामने पेश किया जाएगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह पत्र 14.12.83 का है और तीन महीने से ज्यादा हो गये हैं लेकिन मंत्री जी ने यह मुनासिब नहीं समझा कि उनको जो पत्र प्रधानमंत्री जी ने भेजा है, उसको देखें और पढ़ें कि उसमें क्या है और यह देखें कि क्या संकट है, क्या मुसीबत है। तो यह उपेक्षा क्यों की जा रही है। वे इसके बारे में क्या मदद कर सकते हैं, इसकी उनको कोई चिन्ता नहीं है और कोई कार्यवाही उन्होंने आज तक नहीं की है। अगर की होती तो मुझे लिखते और उसकी जानकारी मुझे होती। दोनों एजेंसियां संकट में चल रही हैं। हमारे

मित्र बता रहे थे और उन्होंने आंकड़े भी दिये हैं और मुझे भी मालूम है कि इसकी ग्राहक संख्या घट रही है और इन एजेंसियों की मासिक आय घट रही है और टेलीप्रिन्टर का लाखों रुपया बकाया पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। आप संभवत: जानते होंगे कि इन दोनों एजेंसियों के जो हिस्से हैं, 95 प्रतिशत सरकार ने खरीद लिये हैं और इन एजेंसियों के चलाने वालों को उसने अपने कब्जे में कर लिया है। सरकार की नीयत खराब है। अगर सरकार ने 95 फीसदी हिस्सा ले लिया है और उनके नियंत्रण में लोग काम कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि घाटे में ये एजेंसियां चल रही हैं। इससे साफ जाहिर है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण हैं और राजनीतिक कारणों से इन एजेंसियों को दबाया जा रहा है, लेकिन इस देश की सरकार को माननीय श्रम मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और सूचना मंत्री जी को यह समझना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हिन्दुस्तानी हैं, हमने इस देश की भाषा को हिन्दी स्वीकार किया है और हिन्दी में छपने वाले पत्र और पत्रिकाएं तथा समाचार, जो आम आदमी तक पहुंचते हैं और आम आदमी को आपकी कथनी और करनी को बताते हैं, अगर वे मर जायेंगे, तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा। किसी देश में राष्ट्र भाषा के सम्मान की मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा। उसके बाद में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सन् 1978 में मुझे जी. डी. आर. जाने का मौका मिला। पूर्वी जर्मनी में मैंने कई जगह जाकर देखा, बहुत जगह लोगों से मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर अंग्रेजी पढ़ने और जानने वाले लोग थे, लेकिन मीटिंगों में, बैठकों में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो अंग्रेजी में बात कर रहा हो। हमारे यहां तो घर में चाहे कुछ भी करते हों लेकिन यहां तो अंग्रेजी के अलावा बात नहीं करेंगे। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी में वहां के डीन ने प्रोफेसरों ने हम लोगों को स्वागत करने के लिए बुलाया। शाम को 6 बजे सब लोग पहुंचे। सबने स्वागत किया और अपनी-अपनी बात कही। इसके बाद बी.सी. महंती जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, वे जब अंग्रेजी में बोलने लगे तो सारे प्रोफेसर और डीन खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये आप क्या बोल रहे हैं। यह कौन-सी भाषा है। आपकी राष्ट्र भाषा तो हिन्दी है बहुत तोड़-मरोड़ करके जवाब देने की कोशिश की कि बहुभाषी देश है, हमारी उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी कौन-सी भाषा है। आप किस प्रदेश के हैं। आप जिस प्रदेश के हैं आप उसी भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? हमें शर्म है कि आप हिन्दुस्तान के लीडर बनकर के आए हैं और इस तरह से विदेशी भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

आजादी के 37 सालों के बाद भी आप देश को भाषा के नाम पर बदनाम कर रहे हैं। मेरा आरोप है कि यह जान-बूझकर किया जा रहा है। ये दोनों एजेंसियां हिन्दी का विकास कर रही हैं। इनके द्वारा पत्र-पत्रिकाएं छपकर आम जनता तक पहुंचती हैं। उसमें आप अवरोध पैदा करना चाहते हैं ताकि यह बन्द हो जाए। आवाज न पहुंचे और आप इसी तरह से लूट का राज करते रहें। इसी तरीके से नम्बर एक और नम्बर दो नागरिकता का जीवन बिहार में है। लोग इस देश में रहें। नम्बर एक के राज करने वाले हैं और नम्बर दो के गांवों में रहने वाले। राज करने वालों का प्रयास है वे न जान पाएं कि आप यहां पर किस तरह से ऐशो-आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप लोग कैसे बंगलों में रहते हैं। किस तरह से आप लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं। किस तरह से हम लोग गाड़ी में सफर करते हैं। ये सब बातें वे लोग न जान सकें।

अधिष्ठाता महोदय, मेरा निवेदन है कि ये दोनों एजेंसियां आज बड़े संकट में हैं। श्रम मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री को एक हफ्ते के अन्दर प्रधानमंत्री जी से परामर्श करना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। इनका घाटा पूरा किया जाना चाहिए। ये दोनों एजेंसियां चलाई जाएं। 95 प्रतिशत हिस्से सरकार ने इसके खरीद लिए हैं। अगर आप इसको नहीं चला पा रहे हैं तो निगम को सौंप दीजिए। एक निगम बना दीजिए। अन्त में मैंने जो पत्र लिखा था उसको दो मिनट में आपकी आज्ञा से पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैंने इस पत्र में लिखा था कि क्या कठिनाई है इसका समाधान क्या है। 30 वर्ष पुरानी संवाद समिति को नियमित रूप से चलाने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इस पर विचार किया जाए। यह पत्र मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था।

सभापति महोदय : पत्र मत पढ़िए, आप अपने शब्दों में बता दीजिए। पत्र का उल्लेख तो आपने कर ही दिया है।

श्री रामलाल राही : दूसरा यह था कि क्या इस संवाद समिति को चलाने के लिए अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता है। यदि हां, तो सरकार इसमें कुछ योगदान कर सकती है, इस पर विचार हो। ये बातें मैंने अपने पत्र में लिखी थीं। इस संवाद समिति की जर्जर स्थिति को देखते हुए नयी नियुक्तियां करने के क्या कारण है ? इस पर विचार होना चाहिए। घाटे पर चल रही यह संवाद समिति कैसे ऐसी स्थिति में आए कि घाटा पूरा हो, कर्मचारी नियमित रूप से वेतन पा सकें तथा जो बकाया इस संवाद समिति पर विभिन्न प्रकार का बढ़ गया है, वह कैसे अदा किया जा सके। विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले जिन लोगों को इस संवाद समिति के प्रशासकों ने बर्खास्त किया है, उस पर विचार हो और उनकी पुरानी सेवाओं को देखते हुए उनको पुनः पूर्ववत् लेने पर विचार हो। अन्त में, निवेदन करना चाहूंगा कि यह लैटर विस्तार से मैंने लिखा था। अगर इस पर विचार किया होता तो कुछ काम चल जाता। बड़ी खुशी हुई कि आज सदन में इस विषय पर चर्चा हो रही है। इन दोनों एजेंसियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया जाए। एक निगम बनाया जाए, जिसके तहत ये दोनों एजेंसियां काम करें। हिन्दी का प्रचार-प्रसार हो, हिन्दी समाचार सारे देश के अन्दर फैले। लोग उसे पढ़ें और राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति लोगों के मन में आदर पैदा हो।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : परम आदरणीय सभापति जी, यही बड़ी विडम्बना है कि आजादी के 37 सालों के बाद भी अपने देश की भाषा हिन्दी ही नहीं बल्कि देश की जितनी भी भाषाएं हैं, वे सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। हमारे देश में हजारों की संख्या में पत्र-पत्रिकाएं निकलती हैं। लेकिन, जितना सर्कुलेशन अंग्रेजी अखबारों या पत्रिकाओं का है, उतना हिन्दी या दूसरी भाषाओं का नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम अपने देश की भाषा में कोई काम नहीं करना चाहते या हमको अपनी भाषा प्यारी नहीं है। यही वजह है कि हिन्दी तथा दूसरी भाषाओं का जो स्टेटस होना चाहिए, वह नहीं है। प्रैस ट्रस्ट आफ इण्डिया और यू. एन. आई. के विषय में आज तक यह सुनने को नहीं मिला कि ये बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से गुजर रही हों या कभी उनका काम ठप्प हुआ हो या उनके कर्मचारियों के रास्ते में किसी प्रकार की बाधाएं आई हों। कुछ वर्षों से हम यह सुन रहे हैं कि समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी तो दूर रही, जिस तरह की पहले थी, वैसी भी नहीं है। हर रोज इनके कर्मचारी तन्ख्वाह, बोनस, एडवान्स व पेमेन्ट

आदि के लिए रोते रहते हैं। दिल्ली में इनके जो लोग रहते हैं, उनके बारे में यह पता लगाया जाए कि उन्हें कितनी तन्ख्वाह मिलती है और किस तरह से वे जीवन-यापन करते हैं ? जब दस-दस महीनों से उनको तन्ख्वाह नहीं मिलेगी तो वे किस प्रकार से अपनी गुजर-बसर करेंगे ? अगर एक मजदूर को कहा जाए कि भूखे रहकर काम करो तो वह कितना काम करेगा ? ईमानदारी से करेगा या बेईमानी से करेगा ? इसका अन्दाजा आप स्वयं, पूरा सदन और देश की जनता लगा सकती है। पत्रकार चाहे किसी भी एजेंसी में काम करते हों या अखबार में; उनके काम को मैं बड़ा जोखिम का काम समझता हूं।

क्यों, अगर सीमाओं पर युद्ध हो रहा हो या समुद्र में तूफान अथवा चक्रवात आ रहे हों, नदियों में बाढ़ आ रही हो या कहीं दंगा, फसाद हो रहा हो, पत्रकार किसी की परवाह नहीं करता, वह अपनी ड्यूटी को निभाता है। भले ही चाहे उसे कोई चोट लगे या उससे भी कोई बुरा अंजाम निकले, लेकिन वह अपनी जान को जोखिम में डालकर समाचार एकत्रित करके लाता है और पूरी दुनिया, देश और जनता को उन समाचारों से अवगत कराता है। इसलिए मैं पत्रकार के काम को बड़ी महानता और बहादुरी का काम समझता हूं। लेकिन जब उसको पेट भर रोटी न मिले, कई महीनों तक उसे तनख्वाह न मिले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, वह आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं।

18.52 hrs.

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूं कि जब केन्द्रीय सरकार भरपूर मदद देती है, राज्य सरकारें भरपूर मदद देती हैं, इसके अलावा समाचार भारती के प्रबन्धक बैंकों से ओवर ड्राफ्ट लेते हैं, कस्टूमर्स से पैसा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घाटे में चलते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, जिसकी वजह से यह एजेंसी घाटे में चल रही है और ठीक तरह से अपने कर्मचारियों को मेन्टेन नहीं कर पा रही है। यदि इस मामले की गहराई में जाया जाए तो एक ही बात सामने आती है कि इसके प्रबन्ध में कहीं-न-कहीं गड़बड़ी है। यहां मैं अपनी जुबान से कोई अपशब्द नहीं कहना चाहता, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात कहूं जो किसी को बुरी लगे, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बात को दूसरे मायनों में ले, लेकिन इतना जरूर है कि समाचार भारती महत्वपूर्ण संस्था होते हुए भी इसकी आर्थिक स्थिति खराब है और उसको ठीक करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं, तो इसकी जड में जाना पड़ेगा और उस कमी को दूर करना पड़ेगा। श्रीमन्, मैंने बहुत से लोगों से यह बात सुनी, अखबारों में भी पढ़ा और अनेक सोर्सेज से पता लगाया कि इस संस्था के प्रबन्ध में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है : इसमें चाहे जनरल मैनेजर हों, एडीटर हों या कोई दूसरे पदाधिकारी हों, वें अपनी ड्यूटी को सही तरीके से, ईमानदारी और बफादारी के साथ, अंजाम नहीं दे रहे हैं और इस एजेंसी के हित में काम नहीं कर रहे हैं। गत 21 मार्च को, जब समाचार भारती के कर्मचारियों ने अपने वेतन की मांग करते हुए कलमबंद हड़ताल की तो उसी दिन तीन बजे वहां के जनरल मैनेजर ने बगैर बोर्ड आफ डायरैक्टर्स की अनुमति के, बिना अध्यक्ष से अनुमति लिए, उसमें ताला डाल दिया और गैर-कानूनी तरीके से वहां से चले गए। इस कारण वहां तालाबंदी हो गई। फिर हड़ताल हुई और इससे उस एजेंसी के

कर्मचारियों में रोष और असंतोष व्याप्त हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि जब वहां ऐसी स्थिति है, तो उसका समाधान कब तक होगा। जब तक हमारे देश में हिन्दी में काम नहीं होने लगेगा तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग हिन्दी या अपनी भाषाओं में काम करते हैं। बहुत कम लोग अंग्रेजी समझते और बोलते हैं। अंग्रेजी जानने वाले अधिकतर बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले कुछ लोग ही हैं। वरना ज्यादातर लोग देहातों में रहते हैं और अपनी-अपनी भाषाएं या हिन्दी का प्रयोग करते हैं। वे अंग्रेजी नहीं समझते। हमारे देश में अनेकों छोटे-छोटे अखबार निकलते हैं और वहां पर इन एजेन्सियों के द्वारा ही समाचार जाते हैं। इसलिए हिन्दी की दोनों एजेन्सियों को ज्यादा-से-ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लेकिन जब इनके प्रबन्ध में ही गड़बड़ी है तो सरकार को उसका हल ढूंढ़ना चाहिए।

श्रीमन्, जहां तक इस एजेंसी का सम्बन्ध है, पिछले पांच साल से इसके हिसाब का ऑडिट नहीं कराया गया है और लगभग इतने ही समय से इसकी आम सभा की बैठक भी नहीं हुई है और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व प्रबन्धक बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं बुलाते। यहां तक कि अपने उच्च अधिकारियों या पदाधिकारियों से परामर्श भी नहीं करते। अपनी मनमानी चलाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस एजेंसी के सामने दयनीय स्थिति उत्पन्न होने के कारण इसकी लगभग 35 न्यूज सेंटर्स बंद हो चुकी हैं और 9 से ज्यादा दफ्तरों में तीन महीने से लेकर 18 महीनों तक का लोगों को वेतन नहीं मिला है।

यह सारी चीजें हैं जिन पर सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। अगर सरकार समय रहते नहीं चेती और कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो कहीं यह एजेन्सीज बन्द न हो जायें। इन्हें जिन्दा रखना देश हित में जरूरी है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस विषय पर गम्भीरता से विचार करे और जल्दी-से-जल्दी कर्मचारियों के नेताओं को बुलाकर बातचीत करे और उनकी समस्याओं, परेशानियों को सुनकर जल्दी-से-जल्दी दूर करे। मेरा सुझाव है कि जितने कर्मचारियों की तनख्वाह बाकी है वह तुरन्त दी जाय ताकि उनमें काम के प्रति दिलचस्पी पैदा हो और वह ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकें।

सरकार के पास इन एजेन्सीज के स्थाई हल के लिये क्या कार्यक्रम है? क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले? यदि हां, तो कब तक अपने हाथ में ले लेगी और यदि नहीं तो सरकार को क्या दिक्कतें हैं वह बतायें।

इन एजेन्सी के जनरल मैनेजर के खिलाफ बड़ी गम्भीर शिकायतें हैं। विदेश में जाने, होटलों में रहने, जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने के और फंड्स का दुरुपयोग करने के। और हमें चाहे उतनी शिकायतें न हों, लेकिन कर्मचारियों को ज्यादा शिकायतें हैं जिनकी वजह से यह एजेन्सी चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कहा जाता है कि जनरल मैनेजर ने इस्तीफा दे दिया है, क्या सरकार उनके कार्यकलापों की सी०बी०आई० द्वारा जांच कराना चाहती है? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जायगी। इन एजेन्सीज को जिन्दा रखने और आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने और कर्मचारियों की मुसीबतों को दूर करने का सरकार का परम कर्तव्य है, आप उनकी समस्याओं को हल करें और अगर मैनेजमेंट में गड़बड़ी करने वाले लोग हैं तो उन्हें ढूंढकर उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और जो

ईमानदारी से देश और एजेन्सी के हित में काम करते हैं ऐसे कर्मचारियों की हर तरह से मदद की जानी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Hon. Members, it is now 7 O'clock. There are about six Hon. Members to speak Only such of those Hon. Members who are to speak are sitting. May be, a few exceptions are there. Exceptions will be there in everything. I would request the Hon. Members not to take more than seven to ten minutes each. Then the Minister can reply at 8 O'clock. He will take some time, and we may be able to adjourn by 8.30 p.m. All of you must cooperate. Prof. Rup Chand Pal.

SHRI G.M. BANATWALLA (Ponnani): Sir, you have remarked that six or seven Hon. Members are to take part in this and only those are sitting here. Please expunge it from the record because it raises the question of quorum.

MR. DEPUTY SPEAKER : I note it. But I have not mentioned the precise number.

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly) : A very serious situation has developed with regard to the language ageney—*Hindustan Samachar* and *Samachar Bharati*. There are strike notices. Everyone is afraid that there may be a lock-out and the employees may be compelled to go on strike. This is the situation...

The worst ever crisis has engulfed these two language agencies. This situation has not developed overnight. You know the history. You remember the emergency days.....

MR. DEPUTY SPEAKER : If you have not forgotten, I have not forgotten.

PROF. RUP CHAND PAL : Consequent upon the merger of *Samachar* it was decided that the Government should pay some grant-in-aid to cover the differential of salary of the people who were working and there was some formula and also how to calculate that formula was decided. It was said that—from 14.4.78 that was effective—for the first three years the Government would pay 100% and for the next 3 years there will be an annual reduction at the rate of 25%. But in the meantime the Palekar award has been announced and now the problem cropped up That was in October 1980—something like that. So the question how to fix up the salary according to the Palekar award question cropped up. A new complexity developed and ultimately it was decided that regarding the ex-Samachar employees who continued in service, the differential will be fixed between the period 1.4.80 and 30.9.80 and in such a formula things were developed. But these two language agencies were being managed in such a manner—one a co-operative and the other not a co-operative but a regular organised agency. Both of them became sick. Industries in our country grow sick. And which are the factors which contribute to that ? As it is in the case of other industries, as it has come out according to one Reserve Bank of India report, mostly it is due to mismanagement. Here also it was because of mismanagement in the co-operative *Hindustan Samachar*. Because of mismanagement they had to be taken over. Administration was superseded and administrators had to be appointed and more than three administrators were appointed Mismanagement—what sort of mismanagement ? Diversion of money, corruption, fraud—all these things continued. But the Government whose responsibility it is to help develop a language agency in a big country like ours and more so, when it was under the Government itself, did not take at the appropriate time the right steps to save these language agencies. So the question arose—did not the Government know it ? And if the Government knew it, why did the Government allow the situation to come to such a pass ? Was there any intention ? Is it related politically in any way to the merger question or the Government has something in mind and it wants that these two agencies should die. The basic thing is that it is facing closure. Because the Labour Ministry is present here to give the reply, I am not going into questions which cannot be covered by the Labour Ministry.

The governments policy regarding the language agencies, regarding payment formula of All India Radio and Doordarshan to these agencies and several other factors have already been raised several times but we are concerned about the employees. A large number of employees who have rendered dedicated service to these language agencies for all these years and served the nation in the best possible capacity are facing starvation. We would like to know what urgent steps the Government can take to save these agencies and also the employees. They are in a very-very bad shape. For months together the salaries have not been paid. Bonus has not been paid for three to five years and the dues to P & T amount to several lakhs of rupees. The number of subscribers is coming down. All these things have been referred to and, as such, I am not going into the same.

Thequestio n is how to save them. One of the suggestions is to merge and set-up an autonomous corporation. My question is what policy government should take up. In a free country government should encourage the development of a language agency. Several times in the past on different occasions the Ministers have made statements from which it can be concluded that government wants—at least on the face of it—that the language agencies should develop. Two-three days back in reply to a question the Labour Minister gave some figures regarding the grant-in-aid having been given and the figures revealed that there is increase in the grant-in-aid. Government is giving something according to its commitment, but is that all ? But is that all ? It is not enough to save these dailies. I am talking about government policy. Government will have to announce its policy today. They should tell us the steps which they propose to take to save these two language papers.

Only when language agencies are safe by the Government policy the employees can be safe. That is number one.

Secondly, as I have said, this has become sick not overnight but over the years because of the lapses of the management, because of wrong policy of the Government. Perhaps Government wanted it to be so. The Minister while replying may refute my charge. It is already stated that some former General Manager had committed serious types of frauds and serious types of mis-appropriations. It is a major part of the Government money. Whether it is State or Ceneral Government, it is Government money. So, right now, certain things have been demanded by others. I also make a demand. The Minister, day-before-yesterday stated that a Memorandum of Samachar Bharati Karmchari Union has been received and sent to the Company Affairs Minister. I request the Minister to institute a proper enquiry. They should remove any misggivings any feelings among employees and others that a man who has committed fraud and indulged in embezzlement is not given proper punishment.

My last plea is this : These strike notices are there. Lockouts are impending. The salary and wages of employees have not been paid for months together. They are starving. Today the Minister should at least announce something. If not regarding PF dues, ESI etc. at least their salary and wages should be pald immediately to them. You can discuss all these problems in a meeting. But right now at least salary should be paid to them so that they may be saved from starvation. They should take urgent step to prevent closure and lockout. I hope the Minister will reply to these points while replying to the debate.

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान समाचार समिति और समाचार भारती की जो दयनीय स्थिति है उसके कारण कर्मचारियों को काफी दिनों से वेतन व अन्य सुविधायें नहीं मिल रही हैं। यह स्थिति दुःखदाई है और इसको दूर करने का प्रयास होना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके, इसको किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की यह नीति रही है, बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, कि देश के हर व्यक्ति को रोजी-रोटी मिले और हर नौजवान को रोजगार मिले। इस प्रकार के जो पत्रकार और विचारक हैं उनकी ऐसी

दयनीय स्थिति हो तो उसको कोई भी पसन्द नहीं करेगा। जितनी जल्दी हो सके सरकार को इसका हल ढूंढना चाहिए।

विरोधी पार्टियों की ओर से जो दोषारोपण किया गया कि सरकार दोषी है उससे मैं सहमत नहीं हूं। एक विरोधी दल के माननीय सदस्य ने कहा कि 95 परसेन्ट राज्य सरकारों के शेयर हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का कोई शेयर नहीं है—यह बात बिल्कुल निराधार है। मुझे पता है कि हिन्दुस्तान समाचार समिति और दूसरी एजेंसियां जब खराब हालत में थीं तो हमारी प्रधान मन्त्री और कांग्रेस सरकार ने इमरजेन्सी के टाइम पर इन एजेंसियों में काम करने वाले कर्मचारियों की दयनीय स्थिति न रहे, उनको अधिक साधन और सुविधायें मिलती रहें इसके लिए सभी एजेंसियों को संगठित करके एक समाचार एजेंसी बनाई थी, लेकिन उसको विरोधी दल के लोगों ने ही पसन्द नहीं किया। और आज यही लोग कह रहे हैं कि यदि ये एजेंसियां नहीं चलती हैं तो किसी को पी.टी.आई. और किसी को यू.एन.आई. के साथ जोड़ दिया जाए। यही तो हम भी चाहते थे, यही हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारी सरकार चाहती थी लेकिन आपने ही उसको पसन्द नहीं किया।**

अलग-अलग विचार थे, सभी अपना-अपना प्रभुत्व चाहते थे··· (व्यवधान)

चुप करके बैठो, बीच में बोलना नहीं है, नहीं तो हवा निकाल दूंगा तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी की भी। (व्यवधान)

आप बैठ जाइये, क्यों बीच में बोलते हो? इस तरह बोलने का क्या हक है?

(व्यवधान)**

मत करो, तुमको बोलने का कोई हक नहीं है।

SHRI SATYANARAYAN JATIYA (Ujjain): He is using the word** he is using unparliamentary word. It should be expunged.

MR. DEPUTY SPEAKER: I will go through the record. Please sit down. If it is unparliamentary word it will not go on record.

आचार्य भगवान देव : बिल्कुल **, कर रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो।

मैं फिर कह रहा हूं तुम** कर रहे हो। बीच में बोलने का कोई हक नहीं है।

(व्यवधान).

श्री सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनका यह तानाशाही रवैया नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: If there is anything unparliamentary, it will not go on record. That is all you want.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): Sir, may I request the Hon. Members Opposite that in case they want to intervene while an Hon. Member is speaking, they should take your permission?

(*Interruptions*)

श्री सत्यनारायण जटिया : बूटासिंह जी मैं आदरपूर्वक पूछता हूं कि क्या मतलब होता है?

आचार्य भगवानदेव : जब मैं बोल रहा था, तो मैं असह्य शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा था।

**Expunged as ordered by the Chair.

श्री बूटासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। मैं तो आपसे यह रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि आप यदि इंटरवीन करना चाहते हैं तो पहले आप चेयर से आज्ञा लीजिए। वे बैठ जाते हैं तो आप इंटरवीन करिए।**

इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं।

···(व्यवधान)···

आचार्य भगवान देव : मैं समझा देता हूं। मैं** समझा देता हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया : क्या ये मेरा आफिसर है जो कह सके कि मैं** समझा देता हूं। यह कोई इस्तेमाल करने की भाषा है।**

MR. DEPUTY SPEAKER : We can settle the things.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Dev, you must address the chair only.

श्री सत्यनारायण जटिया : यदि ये सम्मान नहीं करना चाहते हैं, तो इनका भी सम्मान नहीं होगा।** करने से कोई बड़ा आदमी हो जाता है। (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : जिनके सिद्धान्त आपस में परस्पर न मिलें और अलग-अलग विचारधारा रखते हों, उनको एक साथ नहीं रखा जा सकता है। यह एक कहावत है कि**

विभिन्न सिद्धान्तों के लोग थे, कोई काम्यूनिस्ट था, कोई जनसंघी था और कोई लोकदल का था···(व्यवधान)···

ये समझ नहीं पा रहे हैं।

···(व्यवधान)···

श्री सत्यनारायण जटिया : **ठिकाना नहीं है···(व्यवधान)···

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : आप यह कहिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा—यह संसदीय है।

आचार्य भगवान देव : आपने बिल्कुल सही कहा है। आपने व्याख्या कर दी, इसलिए आपको धन्यवाद। इमरजेंसी में इस समाचार को बनाया गया था। आज दोनों एजेंसियों की शिकायत हो रही है। जनता पार्टी के शासन में समाचार का जो संगठन बनाया गया कि कोई कर्मचारी दुखी न हो, कोई परेशान न हो और उनके वेतन उनको मिलते रहें— इस प्रकार की सरकार ने योजना बनाई। जिसको इन लोगों ने तोड़ा और उसी की आज वकालत कर रहे हैं। कोई पी.टी.आई. या यू.एन.आई. के साथ जुड़ सकता है या नहीं यह तो नियम ही बताएगा। क्योंकि कोई उनमें को-आपरेटिव बेसिस पर है, कोई स्वतन्त्र है और किसी ने प्रान्तीय सरकारों से कुछ मदद ली है और किसी ने प्राइवेट व्यक्ति से मदद ली हुई है। उसमें कितना कोई इन्टरफेयर कर सकता है यह तो अलग बात है। नियम ही बतायेंगे और सरकार ही बताएगी कि क्या हो सकता है।

एक बात जरूर है, हिन्दुस्तान समाचार समिति जब जनता पार्टी का शासन आया, उसमें जनरल मैनेजर द्वारा मनमाने ढंग से अपना प्राइवेट कारोबार शुरू किया। उनके ही कर्मचारियों ने उनके खिलाफ आन्दोलन किया। मैं भी कर्मचारियों के बुलाने पर दो-तीन बार वहां पर गया था। वे बड़े दुखी थे। समय न होने की वजह से मैं विस्तार से व्याख्या नहीं कर रहा हूं। जनरल मैनेजर वहां से गया और

*Expunged as ordered by the Chair.

उस समय जनता पार्टी के शासन में उसको फर्स्ट क्लास मकान दिया गया। बूटासिंह जी ध्यान देकर मेरी बात सुनिए।

पंडारा रोड का मकान अभी भी उनके पास है, यद्यपि उनका अब इस समाचार एजेंसी से कोई सम्बन्ध नहीं है। बल्कि आज जो इस समाचार एजेन्सी के कर्मचारी हैं, जो इसकी सेवा कर रहे हैं उनको मकान तो दूर, तनख्वाह भी नहीं मिल रही है।

श्री बूटासिंह : कौन रह रहे हैं ?

आचार्य भगवान देव : बालेश्वर अग्रवाल, जो पहले इसके जनरल मैनेजर थे। मैं और भी व्यक्तियों के नाम दे सकता हूं जिनको अनेक सुविधायें दी गईं, लेकिन जिनका हक है उनको स्थान नहीं मिल रहा है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इस एजेन्सी की हालत बिगड़ी, इसमें अव्यवस्था पैदा हुई, सरकार ने प्रयास किया कि उसमें सुधार किया जाय। कई बार लोग आये, श्री वसन्त साठे जी के पास भी आये, हमारे पास भी आये और आज भी भगत जी से मिलते हैं, श्रम मंत्री जी से मिलते हैं तथा अन्य लोगों से भी मिलते हैं। सहानुभूति के साथ उनसे बातें होती हैं, लेकिन सरकार कुछ नियमों में बंधी हुई है, उनमें कुछ सुधार करना है। मैं चाहता हूं—सरकार दोनों एजेन्सीज़ को पूर्ण रूप से टेक-ओवर कर ले, क्योंकि उनके कर्मचारियों को रोज़ी-रोटी अवश्य देनी चाहिये।

अभी एक माननीय सदस्य ने समाचार भारती के बारे में कुछ बातें उठाईं। मैं जानता हूं उसकी स्थिति बहुत खराब थी और हाल में जो उसके जनरल मैनेजर थे, वे त्यागपत्र देकर चले गये, क्योंकि वहां ऐसी विचित्र स्थिति है कि जो पानी पीता है, उसको फिर पीना ही पड़ता है। जिम्मेदारी सम्भालने पर ही पता लगता है कि क्या-क्या दिक्कतें सामने आती हैं। जहां तक मुझे पता है—इसके दो डायरैक्टर्स – डा० सिंघवी और रमेश चन्द्र—इन दो व्यक्तियों की एक कमेटी जांच कर रही है। रिजर्व बैंक के डायरैक्टर मि० गनेशन भी उसमें हैं। वहां पर गलत काम हुआ है या सही काम हुआ है—वह कमेटी जांच करेगी। यहां पर कहा गया है कि सी०बी०आई० से जांच करायें—हर चीज़ की जांच सी०बी०आई० करे यह भी कोई उचित सुझाव नहीं है। जो भी जांच होगी वह सब सामने आयेगी लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं—किसी व्यक्ति पर इस तरह से आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई गलत काम किया गया है तो जांच करने के बाद जो भी कार्यवाही हो सकती है वह अवश्य करनी चाहिए। लेकिन मैं यह ज़रूर चाहता हूं कि हिन्दी की इन दोनों एजेन्सियों की जो दयनीय स्थिति है उससे मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि राष्ट्रभाषा को उसका उचित महत्व मिले, इस तरह का प्रयास मैं रात-दिन करता रहा हूं। मेरी मातृभाषा सिन्धी है, लेकिन इस देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी है और उसकी ये दोनों एजेन्सियां इस तरह की दयनीय स्थिति में रहें—यह हमें मन्जूर नहीं है। मैं चाहता हूं कि इनके लिये आवश्यक कदम, डायनैमिक कदम शीघ्र उठाना चाहिये और दोनों एजेन्सियों को टेक-ओवर करके इसके कर्मचारियों को तुरन्त राहत मिले—इस तरह का प्रयास करना चाहिये। भारत सरकार ने पहले, इस तरह के कई संस्थान हैं, जैसे शान्ति निकेतन है, कलकत्ता की एक लाइब्रेरी है, उनका टेक-ओवर किया है ताकि वे ठीक तरह से चल सकें। मैं चाहता हूं और विरोधी पक्ष के लोग भी चाहते हैं कि इनको जोड़ दिया जाय, इनको मिला दिया जाय। इस तरह का प्रयास फिर से किया जाय जिससे इनको एक एजेन्सी बनाकर राष्ट्रभाषा को फिर से गौरव-पूर्ण स्थान दिलाया जाय, अन्यथा हमारा सिर

शर्म से झुक जाता है, जब हम इस तरह से इन एजेन्सियों और इनके कर्मचारियों की हालत देखते हैं। मैं आशा करता हूं हमारे श्रम मंत्री जी, भगत जी तथा स्वयं प्रधान मंत्री जी इनके लिए कुछ करने का प्रयास करेंगे। मैं जानता हूं आज भी वहां पर अनेक निष्ठावान, ईमानदार और राष्ट्रीय विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं —ऐसे निष्ठावान व्यक्तियों को इन एजेन्सियों का काम सौंपना चाहिये जो इसके कार्यों को अच्छी तरह से जानते हैं।

एक माननीय सदस्य ने हमारे लोक सभा के एक माननीय सदस्य श्री अरुण नेहरू का उल्लेख किया है कि वे हिन्दुस्तान समाचार के साथ सम्बन्धित हैं। उन्होंने बिल्कुल गलत बयानी की है। श्री अरुण नेहरू जी ने सार्वजनिक रूप से इसका खण्डन किया है, उनका इस एजेन्सी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः भारत सरकार से चाहता हूं कि वह तुरन्त उचित कार्यवाही करके इन दोनों एजेन्सियों को अच्छी तरह से चलाने के लिए कोई शक्तिशाली तुरन्त कदम उठाए।

श्री जगन्नाथ पाटिल : (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले ही लेबर और रिहैबीलिटेशन मिनिस्ट्री पर जो चर्चा हो रही थी, उस समय मैंने कहा था कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। अगर सरकार की कथनी और करनी में फर्क न होता, तो आज सदन के सामने 'समाचार भारती' और 'हिन्दुस्तान समाचार' पर बहस करने का मौका यहां नहीं मिलता लेकिन सरकार हमेशा बीस-सूत्री कार्यक्रम का नारा लगाती है कि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए हम काम करना चाहते हैं, लेकिन यह बात सही नहीं है।

'हिन्दुस्तान समाचार' और 'समाचार भारती' यह हिन्दी भाषी न्यूज एजेन्सी है और अगर यह हिन्दुस्तान में काम नहीं करेगी तो क्या यह रूस में काम करेगी या अमेरिका में काम करेगी। तो मैं सरकार से आवाहन करता हूं कि इन बातों को ध्यान में रखकर दोनों एजेन्सियों को मिलाकर एक निगम बनाया जाए जैसा कि प्रेस कमीशन ने सुझाव दिया है और निगम बनाकर इन दोनों संस्थाओं में जो काम करने वाले 400-500 कर्मचारी हैं, उनको संरक्षण दें। मैंने यहां बैठे-बैठे सदन में सदस्यों की उपस्थिति गिनी और जो पत्रकार हैं, जो कि आज उपस्थित हैं, उनकी संख्या को भी देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके मुकाबले में माननीय सदस्य आधे भी उपस्थित नहीं होंगे। हम लोग जो चर्चा में भाग लेते हैं उनसे ज्यादा दिलचस्पी हमारे पत्रकार भाई दिखा रहे हैं क्योंकि उनके जो पत्रकार भाई हैं, उनकी रोजी-रोटी डूब रही है और उनको छः महीने से और एक साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है।

SHRI G.M. BANATWALLA : It is an uncharitable remark.

MR. DEPUTY SPEAKER : I will see,

श्री जगन्नाथ पाटिल : एक संस्था के महा-प्रबन्धक ने इस्तीफा दे दिया है और इसकी जांच करने की मांग अन्य सदस्यों ने भी उठाई है। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता और 'हिन्दुस्तान समाचार' में जैसे कि मंत्री मंडल में पिछले चार साढ़े चार सालों में कई बार री-शफलिंग हुई है, इसी तरह से इसमें और समाचार भारती में मैनेजरों की री-शफलिंग हुई है, प्रशासकों की री-शफलिंग हुई है। री-शफलिंग का मामला नहीं होता अगर अच्छे आदमी काम करने के लिए बैठे होते। हम हिन्दुस्तान में रहने वाले हिन्दू अनडिवाइडेड

फैमीली के घर चलाने वाले लोग हैं और जब एच०यू०एफ० का मामला होता है, तो जो घर चलाने वाला होता है अगर वह अच्छा आदमी होता है तो घर ठीक से चलता है लेकिन अपने देश की पंथ प्रधान ऐसे मामलों में दिलचस्पी नहीं लेती हैं और इस कारण पंजाब का मसला जो 13 बार यहां पर उठाया गया है, वह यहां 13 बार उठने पर भी हल नहीं हो रहा है और कोई रास्ता उसके हल का नहीं निकल रहा है। इसी तरह की बात 'समाचार भारती' और 'हिन्दुस्तान समाचार' के बारे में है। इनके मैनेजरों और प्रशासकों की री-शफलिंग से यह मामला हल नहीं हो सकता। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन दोनों संस्थाओं का एक निगम बनाना बहुत जरूरी है।

इस चर्चा को प्रारंभ करते हुए सम्मानित सदस्य श्री मोहम्मद असरार अहमद ने यह कहा कि 'हिन्दुस्तान समाचार' के कर्मचारी बी.जे.पी. और आर.एस.एस. से लगन रखने वाले लोग हैं। मुझे इतिहास की एक बात याद आती है कि मुगलों के घोड़े जब पानी पीने जाते थे और पानी को अगर वे छूते नहीं थे, तो उनका सैनिक, उनका सरदार उनसे पूछता था कि क्या इसमें तुमतो धनाजी नानाजी दिखाई दे रहा है। यही बात यहां पर भी लागू होती हैं। हर बात में आर.एस.एस. और बी.जे.पी. के नाम को जोड़ दिया जाता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मैंने यह नहीं कहा। मैंने कर्मचारियों के संबंध में नहीं कहा। मैंने कहा है कि मैनेजमेंट में आर.एस.एस. और बी.जे.पी. का कब्जा है। ये अपनी गलत बात को वापिस लें।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पाटिल : इसलिए मैंने यह बात कही। महात्मा गांधी के प्रतीक थे तीनों बंदर—बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, इस बात के प्रतीक थे। अब महात्मा गांधी का जमाना नहीं रहा। अब तो इंदिरा गांधी जी का जमाना है। इसलिए मैं इन प्रतीकों में एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और चौथा बुरा मत करो।

इतना ही मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं। समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों के कल्याण के लिए जल्दी-से-जल्दी एक निगम बनाया जाए ताकि उनकी रोजी-रोटी बच सके। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा जनतंत्र विधायिका, कार्यपालिका और न्याय-पालिका संबंधी तीन खंभों पर खड़ा है। पूंजीवादी देशों में यह सबसे बड़ा जनतंत्र है, परंतु चौथे खंभे के अभाव में हमारे जनतंत्र का पांव समान रूप और ठीक से जम नहीं सकता। इसलिए, समाचार पत्रों को जनतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है अगर समाचार पत्र जन-भावनाओं का प्रकटीकरण ठीक प्रकार से, निष्पक्ष रूप से और जन-आकांक्षाओं, आशाओं की पूर्ति के लिए करे तो निश्चित रूप से हमारा जनतंत्र सुदृढ़ और समृद्धशाली बन सकता है।

परन्तु क्या समाचार पत्र अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका को ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ निभा रहे हैं ? नहीं। आज देश के अधिकांश समाचार पत्रों पर इजारेदार पूंजी-पतियों का शिकंजा कायम है। उनके चैन आफ न्यूजपेपर चल रहे हैं जिनका उद्देश्य देश में पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत बनाने एवं शोषण दोहन की व्यवस्था को कायम रखना है। इसलिए ऐसे समाचार पत्रों को समाजवाद बड़ा डरावना और खौफनाक मालूम पड़ता है।

समाजवाद के बदले वे लूट-खसोट की व्यवस्था सर्वदा के लिए बनाए रखना चाहते हैं। वे इस बात को उचित नहीं समझते कि देश में वामपंथी एवं जनवादी शक्तियों को बल मिले और वर्तमान सरकार को गद्दी से हटाकर समाजवादी विचारधारा में विश्वास करने वाली सरकार की स्थापना हो सके। इसलिए इजारेदारों के समाचार पत्र बराबर इन शक्तियों को खरी-खोटी सुनाने एवं जनमानस में उन्हें भद्दा एवं देश का दुश्मन साबित करने में लगे रहते हैं। इसके विपरीत जो छोटे समाचार पत्र हैं उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण वे अपनी अपेक्षित भूमिका अदा नहीं कर पाते।

समाचार एजेन्सियों की भी ऐसी ही दशा है। एक जमाने में समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार को समाचार एजेंसियों में प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था लेकिन कालांतर में उनकी दशा शनैः-शनैः खराब होती गई। उनके संचालक उनकी सारी संपत्ति को खा-पका गए। नतीजा यह होने लगा कि उनमें काम करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों एवं कर्मचारियों को वेतन बोनस आदि की सुविधाएं देने में भी कठिनाइयां होने लगीं।

समाचार भारती को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की ओर से लाखों-करोड़ों रुपये दिए जाते रहे जिन्हें उसके प्रबंधक डकार गये। हवाई-जहाजों में देश-विदेश का सफर करते रहे और पंच सितारा होटलों में रंगरेलियां मनाते रहे। फलस्वरूप खून-पसीना बहाकर उसमें देश के कोने-कोने में काम करने वाले श्रमजीवी-पत्रकारों एवं कर्मचारियों को अपने को जिन्दा रखने के लिए वेतन तक नहीं दिये गये। यह जानकर क्रोध आता है कि उन्हें तीन माह से नौ माह तक के वेतन नहीं देकर उन्हें भूखमरी का शिकार बनाया गया। उनके लिए पालेकर अवार्ड भी लागू नहीं किया गया। उनका तीन वर्षों का बोनस भी देय है। नियमों के अनुसार वर्षों तक उनके प्राविडेन्ट फण्ड, ई० एस० आई० आदि के रूप में काटी गयी करोड़ों की राशि को भी जमा नहीं किया गया। कहते हैं कि समाचार भारती के जनरल मैनेजर करीब एक लाख रुपये खा गये और कर्मचारियों को एक पैसा भी नहीं दिया। कहते हैं कि धन के अभाव में पिछले अढ़ाई वर्षों के दरम्यान इसके 27 समाचार केन्द्र बन्द हो चुके हैं। धन के घोटाले के कारण ही कर्मचारियों को वेतन नहीं दिये जा सके, मकानों के किराये अदा नहीं किए गए, बिजली और टेलीफोन के बिलों का भुगतान नहीं किया गया। फल-स्वरूप कहीं-कहीं उसकी सम्पत्ति तक को जब्त कर लिया गया। फिर भी कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया।

समाचार भारती का हिसाब-किताब नहीं रखा जाता और धन खर्चने की सारी शक्ति केवल एक व्यक्ति, जनरल मैनेजर के हाथ में केन्द्रित है। वह अपने टेलीफोन बिलों का भुगतान तो समय पर करते रहते हैं, पर कर्मचारियों और एजेंसी के टेलीफोन बिलों का भुगत न दो वर्षों से अधिक दिनों से नहीं किया गया है। इस प्रकार समाचार भारती की स्थिति दिनोंदिन बद से बदतर होती गयी। अपनी इस स्थिति से उबरने के लिए उनके सामने आंदोलन करने के सिवाय क्या चारा रह गया था। अतः उन लोगों ने 21 मार्च से 'कलम-बन्द' आंदोलन शुरू किया। परन्तु दुख है कि उनकी कठिनाइयों का हल निकालने के बजाय प्रबन्धकों ने एजेंसी में तालाबन्दी कर दी, जो निश्चित रूप से ट्रेड यूनियन कानूनों का उल्लंघन था। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के सामने समाचार एजेंसी के अहाते में लेटकर विरोध करने के सिवाय दूसरा क्या रास्ता बच गया था? इस बात की आशंका है कि समाचार

एजेंसी में तालाबन्दी करने के पूर्व प्रबन्धकों ने आर्थिक घोटाले के सभी सबूती कागजातों को या तो नष्ट कर दिया है या उन्हें गायब कर दिया गया है। कर्मचारियों की यह मांग सर्वथा उचित है कि समाचार भारती में व्याप्त सम्पूर्ण भ्रष्टाचार एवं घोटाले की जांच सी०बी०आई० द्वारा करवायी जाये। इस बात पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए कि एजेंसी के जनरल मैनेजर बैंक खाते का इस्तेमाल नहीं करें। खबर है कि एजेंसी के जनरल मैनेजर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं इसे कर्मचारियों की जीत मानता हूं। परन्तु प्रश्न यह है कि कर्मचारियों के वेतन, बोनस, दूसरे बकाया, बन्द केन्द्रों को चालू करने, पालेकर अवार्ड को लागू करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है? तालाबन्दी तो समाप्त कर दी गयी पर सी० बी० आई० से जांच करने के बारे में क्या हुआ? समाचार एजेंसी ठीक से चले इसके लिए योजना क्या है? आर्थिक घोटाला करने वालों के विरुद्ध कौन-सी कानूनी कार्यवाही की गयी है? हिन्दुस्तान समाचार की स्थिति तो और भी खराब है। प्रारम्भ से उस पर आर० एस० एस० का कब्जा था। उसके स्वनामधन्य प्रबन्धक जाते-जाते उसकी सारी सम्पत्ति हड़प कर उसे कंगाल बनाते गये। नई व्यवस्था की गयी। एक सांसद को उसका सर्वेसर्वा नियुक्त किया गया। फिर भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और कर्मचारियों के वेतन आदि के लाखों रुपये बकाया पड़े हैं। वे दर-दर के भिखारी और भूखमरी के शिकार हैं। ट्रेड यूनियन कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान समाचार की स्थिति में सुधार लाने और कर्मचारियों के बकाये के भुगतान व नियमित रूप से वेतन आदि देने की दिशा में कौन-सी कार्यवाहियां की गई हैं? यहां यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि पटना से प्रकाशित सेठ बिड़ला के 'सर्चलाइट' और 'प्रदीप' में पालेकर अवार्ड को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है? उनके विरुद्ध कौन-सी कानूनी कार्यवाही की गयी है? पटना से प्रकाशित अधिकांश उर्दू अखबारों में भी अब तक पालेकर अवार्ड लागू नहीं किया गया। ऐसा क्यों? सरकार ने इस दिशा में कौन-सी कार्यवाही की है? और कौन से समाचार पत्र ऐसे हैं जिन्होंने पालेकर अवार्ड को लागू नहीं किया है और उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गयी है? राजभाषा हिन्दी समृद्ध बन सके इसके लिए हिन्दी समाचार पत्र एजेंसियों को सरकार की ओर से पूरी मदद मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए? अंग्रेजी समाचार एजेंसियों के साथ इन्हें सम्बद्ध करके इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती।

SHRI G.M. BANATWALLA (Donnani): Hindi is the most widely spoken language in our country. It is our official language also. And the Hindi press leads both in number and in circulation. It is, therefore, much agonising to find inexplicable indifference to the shocking mismanagement of these two Hindi news agencies namely, Samachar Bharati and Hindustan Samachar.

We have been talking about a new world information and communication order. We have been holding here in New Delhi international media conferences. We have been holding media conference of the non-aligned countries and so on, expressing our concern and being very impatient to contribute to the development of new world information and communication order. But our own house is not in order. I must, therefore, press that India can hardly make any contribution to the new world information and communication order without first putting our own house in order. We have a shocking state of affairs with respect to the management of the two news agencies I would not go through the list of charges, because the earlier speakers have already drawn your attention to them. Salaries are in arrears. Relations between management and the staff have been strained. Many

branches have been closed down. More than once the postal authorities have suspended teleprinter facilities for non-payment of dues. Rent of premises has not been paid with serious consequences. We find that there are serious charges of mis-appropriation also against the former General Manager. It is shocking to find that while the employees in our capital were not paid for months, while those working in these sectors failed to get their salaries for the past more than a year, we find this painful and agonising situation that while the employees failed to get their dues, the General Manager on the other hand, was enjoying costly foreign trips. The costly foreign trips were going on while the employees were starving. The previous speakers have also already pointed out the glaring instances of irregularities with respect to the provident fund and so on and so forth. Such is the state of affairs which is inexcusable.

I may refer to one instance with respect to the Nagpur office of Samachar Bharati. We find rank callousness over there. A prospective buyer who paid the initial deposit to get its services, was driven to desperation. He approached the court. The management did not even bother to appoint a lawyer to present its case before the judge and the judge passed ex-parte orders. The Civil Judge ordered that the entire property of the Nagpur Office of Samachar Bharati be handed over to the prospective subscriber. But the property in the office, namely the teleprinters only also did not even belong to the news agency since they were hired from Post and Telegraph Office on a rental basis. We have such a shocking state of affairs.

I may refer to the situation in Kerala also. The Kerala Bureau of Samachar Bharati was set up in April 1979 at Irivandrum. A very small staff was appointed for a training period of six months at very nominal salaries but after six months they failed to get their confirmation orders. The Manager in charge of the Kerala Bureau was constantly in touch with the head office here in New Delhi for orders with respect to confirmation and revision of pay-scales but all his efforts were in vain. It is shocking to know that the headquarters here in New Delhi instructed the Kerala Bureau Manager to appoint district representatives and district representatives were appointed at Kottayam and Ernakulam but the Delhi headquarters did neither send them appointment orders nor paid any remuneration to them. The rent of the premises also was never paid. The owner wanted to take the possession of the premises so all the staff shifted to a small room just to store their teleprinters and other things over there. Such is the state of affairs. The telephone was disconnected for non-payment of dues. A callous and persistent indifference is to be observed with respect to everything. A memorandum was also given to the Minister of Information and Broadcasting who paid a visit to Trivandrum on July 3, 1983 but we hardly know of any action that has been taken.

I have a few points to make. The situation with respect to the management, as I said, did not develop overnight, there was a steady deterioration over a period of time. There were memoranda given to the Government, there was an agitation. Two of the members of, I believe, Hindustan Samachar went even on hunger strike. I want to know from the Government that during this period of time what action was taken by the Government with respect to this steadily deteriorating situation? I am sorry to say that there was callous and persistent indifference to the grievances to the employees and the serious financial and administrative irregularities that were developing in these two institutions. As I said, there are serious allegations against the former General Manager. There must be an independent enquiry. Some steps must be taken. Mere resignation or removal can never be satisfactory. We would like to know from the Government as to what action is proposed to be taken in this particular case. I must emphasise that piecemeal steps would not do in the matter. No use taking mere ad hoc decisions or just a few steps here and there. No doubt regular payment of salary has to be ensured, no doubt irregularities with respect to provident fund and other things must be looked into, no doubt proper remuneration has to be paid out and regularly, steps have also to be taken against the past irregularities, misappropriations and so on, but this is one aspect of the situation. The Government owes it to the nation through

this House to apprise one and all of the steps it proposed to take in order to see that these two new agencies flourish. A few members suggested even the take over of these the two news agencies. I shall not advocate that. I am not a believer in the regimentation and control of news by the Government.

MR. DEPUTY SPEAKER : Nobody has touched the commercial aspect of these two institutions. Would you enlighten the House on that if you have any information, leaving aside the other thing; whether it was working profitably. They have many customers, like other institutions. What about that ?

SHRI G.M. BANATWALLA : We find that nearly 35 centres were closed down, which speaks a lot.

MR. DEPUTY SPEAKER : Is it due to maladministration or they could not manage ?

SHRI G.M. BANATWALLA : 35 centres were closed down because of utter mismanagement there. There is no question of economic viability as such, because the Hindi press leads both in circulation and in number. Therefore, there is no question of economic viability. What is wanted is proper management. Of course, much will depend on the employees and the quality of the stories and news they put out. It is a sorry state of affairs that at present the quality is so poor that even the Hindi papers have to lift the reports and stories from the English papers and translate them, which is a laborious job indeed. The people working in the two agencies have to co-operate with respect to improving the quality ; there can be no doubt whatsoever on this, in order to ensure the economic viability of these two agencies.

I was asking the Government to let us know the steps it has taken, or the action it has taken when these grievances were brought to the knowledge of the Government, when these instances of misappropriation and serious economic and financial irregularities were brought to the knowledge of the Government. They must let us know as to what action they have taken. Otherwise, we will be forced to conclude that there has been persistent callousness on the part of the Government.

There is a suggestion put forward with respect to having a corporation, which needs to be examined. A permament solution has to be found out so that the entire thing is put on a sound basis. I hope the Government will satisfy the House with respect to all these various points.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : Shri Banatwalla has discussed the legal aspect threadbare and I would not mention them just for the sake of repeating. Before I I talk about the *Samachar* Bharati or the *Hindustan Samachar*, I will talk about the General Manager, who has not only held the news agencies to ransom but has also challenged the Government. Initially, I was tempted to recite the verse of Faiz Ahmed Faiz, though it was in different context. If I recite that, people from that side would feel that on every occasion we are criticticsing the Government. So, I had decided not to recite it. It is :

बने हैं अहले-हवस मुद्दई भी, मुन्सिफ भी,
किसे वकील करें, किससे मुन्सिफी चाहें ?

I am sorry it is in Urdu and you do not understand Urdu.

This is what Faiz said. But here it is not because the Government of India is against the interests of the people working in Samachar Bharati or Hindustan Samachar.

SHRI BUTA SINGH : Sir, he has asked you to appoint an advocate and also a judge. Sir, I propose, let Shri Banatwala be the Advocate and let Prof. Soz the judge.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : I don't suppose I can be a judge.

MR. DEPUTY SPEAKER : The Government has come out with a proposal ; will you be agreeable to that ?

PROF SAIFUDDIN SOZ : I would not be a judge, not even a Vakil.

Sir, I don't say the Goverament of India is enjoying on the misery of the people, who are working in Hindustan Samachar or Samachar Bharati; but I would say that this General Manager's behaviour has held not only the news agency and its employees to ransom, but has also posed a challenge to the Government of India, because nobody is above law. Sir, there is a chargesheet which I would like to show to you. This is from the employees of the Samachar Bharati. Now, whatever the charges are, they have a right to say everything in black und white and this is a chargesheet which should go before an inquiry commission. It may be a CBI or any other agency which the Ministry of Labour may like to decide, but this is the charge-sheet that the General Manager may have to answer. He may resign or he may be dismissed, as Shri Banatwalla has said, at least I have no information whether he is in a mood to resign, but he cannot go scot-free. People in this country must know all this because these are very fantastic charges. The charges are that he concocts the stories, he changes the minutes surrupticiously, he misleads the Board of Directors and there are charges of corruption also. So, dismissal is no punishment. May be he goes to jail, but there has to be an inquiry into his behaviour.

Sir, in the Samachar Bharati even the State Governments are shareholders. It is a very serious charge that when the Government's money is involved in it, why have its accounts never been audited by the Comptroller and Auditor General of India? Therefore my request to the Hon. Labour Minister is that he should institute a special inquiry into the behaviour of the General Manager. I am very happy that the Central Government and some of the Congress(I) leadership advised Shri Adik to resign. I will not raise that issue here, but the whole country was beseached and wanted to know what would be the reaciton of the Congress(I) High Command. Now, they must take notice that the General Manager has exhibited a kind of highhandedness for which he has to be punished and the people of the country must know what is happening in the country.

Sir, I start with the point that there are some arrears to be paid to certain employees there. You know in the days of price spiral, it is very difficult to make both ends meet. So, we expect the Hon. Minister to make an announcement here and now and fix a time during which the payment will be made.

Secondly, I would suggest that these two agencies should be merged into one and that there should be a Corporation or an agency in its place, which should be a viable one after merger.

Sir, because you don't know the Hindi medium, I would like to share with you an example from my birth-place, Baramula. The people there are agitated because populationwise it is one of the highest in the Jammu and Kashmir State, yet that town with 75,000 people received only 180 English papers—Hindustan Times, Indian Express, all told. It may be 200 now, because I have the figures of as far back as four months.

But that small town gets 2,500 Urdu papers, Hindi papers and other papers. This must be the ratio throughout the country. If we want to reach the people of India, it will be through the medium of Hindi and through the medium of Urdu and other regional languages. So, therein lies the importance of *Samachar Bharati* and whatever name we shall give. That means, P&T the people of India or the people who are working there come to a decision. It should be one news agency because if it is *Hindustan Samachar* and *Samachar Bharati*, they would get into a kind of competition because they are news agencies, they cannot have a healthy competition. Their competition will be cut-throat competition and unhealthy competition. So, in order to avoid that situation, it must be one single agency and that agency must be viable and it has to be viable because people want to know what is happening in the country. It should be much more viable than the English news agency. Therefore, it should be a corporation. I would request the Government to rise to the occasion and give a lead to the countrymen. In this kind of Urdu papers things are stale because they borrow from *India Today*,

Sunday and other English dailies and periodicals and they become a newspaper. If it is a viable news agency, all people in every nook and corner of the country will get fresh news and we shall reap rich dividends.

I hope the Hon. Minister will respond to the suggestions that I have made.

MR. DEPUTY SPEAKER : Hon. Members, on behalf of the BJP, Mr. J.S. Patil has spoken. Now, as a special case, I will give two minutes to Mr. Jatiya to speak.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष जी, आप मेरे प्रति बड़ी सहानुभूति रखते हैं जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

हमारे समक्ष जो विषय है वह है अभिव्यक्ति का, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हमें मिली है और जिस प्रकार से इसको बिगाड़ा जा रहा है यह हमारे लिए बड़ा कष्टदायक है। सरकार की जो नीति रही होगी, रही होगी और सरकार जो हुकूमत चलाती है उसकी नीति रहती है कि फूट डालो और राज करो। लेकिन यहां पर फूट डालने की गुंजायश नहीं होनी चाहिए और बिगाड़ने की नहीं, हम सुधारने की बात करते हैं। कोई समृद्ध हो, सुखी हो तो उससे हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। इसमें विदेश का कोई कारण नहीं है। यदि कोई औद्योगिक इकाई घाटे में चल रही हो तो उनको भी सरकार अपने हाथ में लेकर सुधारने का प्रयास करती है, उन इकाइयों में भी केवल उनका आउट-पुट नहीं देखा जाता है बल्कि अन्य बहुत सारी बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। यहां पर यह तो कोई उद्योग भी नहीं है बल्कि यह तो देश की सेवा है, नेशन की सर्विस के लिए हिन्दी की सेवा है जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। गांधी जी और संविधान ने जो निदेश दिया है उन सारी मान्यताओं को पूरा करने का हमारा संकल्प है और उस संकल्प को पूरा करने के काम में जो लगे हैं उन्हीं के साथ यदि अत्याचार हो, अन्याय हो, उनकी बातों को सुना न जाए तो मैं समझता हूं उससे बढ़कर और कोई खराब बात हो नहीं सकती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस एजेंसी वाले मामले को आप एक सीमित दायरे में ही मत सोचिए—यह तो आपकी बात को, जनता की बात को जनता तक पहुंचाने का काम करती है और आम लोगों की आवाज बनती है। जो लोग अपने खून को पसीना बनाकर काम करते हैं वे अलग प्रकार के श्रमिक होते हैं, ये लोग तो अपना खून जलाकर स्याही बनाकर समर्पण की भावना से अपना कर्तव्य निभाते हैं। सारे देश के लिए वे बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और समाचार भारती के लोगों ने जो संघर्ष किया है वह कलमकारों के इतिहास में बड़ी अनोखी बात होगी। किसी भी संघर्ष में नुकसान तो होता ही है किन्तु संघर्ष एक सोपान होता है आगे आने वाली बातों को तय करने के लिए और इसलिए मैं उन समस्त लोगों को उसके लिए बधाई देता हूं। हिन्दुस्तान समाचार में बीच में कोई सज्जन आए थे, उनसे लोग असंतुष्ट रहे होंगे, उनके अपने क्रिया-कलाप रहे होंगे, सरकार के पक्ष की बात सोचते रहे होंगे और वह बात बनी नहीं होगी। हर एक बात को सरकार के नजरिए से सोचना ठीक नहीं है। अभिव्यक्ति के माध्यम को कैसे सशक्त बनाया जाए—वही बात कहनी चाहिए। प्रेस आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं उनको पूरा करवाने का काम सरकार का है। प्रेस आयोग की सिफारिशों को कब तक सरकार लागू करेगी—इसका उत्तर यहां पर पाटिल साहब देने की कृपा करेंगे। मैं चाहता हूं कि उन लोगों का जो वेतन बकाया है वह फौरन मिलना चाहिए, क्योंकि बिना वेतन के, बिना पारिश्रमिक के काम चल नहीं सकता है। केवल सिद्धांतों से

गाड़ी नहीं चल सकती और न केवल भाषणों से काम चलेगा। आप चाहें कि वे सेवा तो करें परन्तु भूखे रहकर तो भूख उनको सेवा करने ही नहीं देगी। बिना पारिश्रमिक, भूखे रहकर वे देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। संघर्ष में जो परिणाम होते हैं, उसके तत्पर रहते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि उनके पुराने वेतन देने के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय आपने भी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसको ठीक करने के लिए आप क्या उपाय करने जा रहे हैं?

हिन्दी समाचार एजेंसी श्रम मंत्रालय का विषय है और दूसरा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी है। इनमें समन्वय स्थापित करके आप इन समाचार एजेंसियों को किस प्रकार सक्षम बनायेंगे? एक बार पुनः आग्रह करते हुए उन कर्मचारियों को उनके अधिकार प्राप्त हों सरकार तत्काल कार्यवाही करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL):

In all thirteen Hon. Members have participated in the discussion. I have heard with attention the views expressed by all Hon. Members. Almost all the Hon. Members have expressed their serious coucern over the deteriorating affairs in the two Hindi news agencies — viz., Samachar Bharati and Hindustan Samachar.

Many Hon. Members suggested that these two Hindi news agencies should be made viable and Government should take the responsibility of making these agencies viable and necessary steps should be taken to revive these agencies.

Some Members suggested that these two agencies should be merged into one Corporation. Some Members suggested that one news agency should be merged with PTI and another news agency should be merged with UNI. Some Hon. Members suggested that straightway Government should take over the control of these two news agencies and they should run the whole show.

So far as the affairs of Samachar Bharati are concerned, it figured in the other House. On 22nd March, 1984 and I made a statement in Rajya Sabha on 23rd March, 1984 I tried to collect the information with regard to Samachar Bharati from the Delhi Administration. According to the information that was made avaliable to me, the employess of Samachar Bharati went on strike on 22nd March, 1984. The version of employees was that they did not go on strike, on the other hand the General Manager declared a lock-out. The version of the Management and the General Manager was that they did not declare a lock-out, but they only locked up the premises when the employees went on strike apprehending danger of damage to office equipment. Anyhow, Sir, there was a detailed discussion in the Rajya Sabha. While replying to the debate, I assured the Members in the Rajya Sabha that I would have a discussion with the representatives of the workers' union and also with the representatives of the mananement and I would try my best and use my good offices to resolve the dispute and for an amicable settlement. Accordingly, on 26th March, 1984, I inivited the representatives of the workers, union for a discussion. I had a detailed discussion separately with the representatives of workers' union on that day and they suggested that there should be a discussion with the Chairman of the Board of Directors in my chamber. Immediately, I asked my office staff to contact the chairman and fortunately the chairman was available. And I persuaded chairman to come to my chamber in the evening on the same day and there was a discussion in my chamber in my presence between the workers' representatives and the chairman of the Board of Directors of Samachar Bharati. I am happy to report that there was an understanding between the workers' representatives and the chairman and they worked out, in my presence certain modalities to restore

normalcy. In the morning when the workers' representatives met me separately, they complained against the General Manager and they were ready with a memorandum containing allegations against the General Manager. Then, I told them that the Labour Minister and my Ministry were not concerned with the allegations and I would like to inform the Hon. Members that Samachar Bharati is a company and Hindustan Samachar is a cooperative society. I am telling this because some Members suggested that these two should be merged together and a corporation should be created. But, one is a company—I do not know whether it is a public limited company or a private limited company and another one is a cooprative society registered under the Cooprative Societies Act. When the workers' reprsentatives complained, I said, "If you have got any memorandum alleging about the misappropriation and maladministration indulged in by the General Manager, on your behalf, I will refer this to the Company Law Affairs Ministry'" Accordingly, they gave a memorandum and I have forwarded, my Ministry has forwarded that memorandum to the Company Affairs Department for taking appropriate action, on 28th March, 1984.

SHRI G.M. BANATWALLA : So, you are a mere Post Office ! In the interest of labour, you should follow it up, show your own interest rather than sitting on mere technicalities. You should contact them to see what is happening.

SHRI VEERENDRA PATIL : Sir, he has no patience to wait. I say that the memorandum was submitted to me on 26th and I did not take more than 48 hours to forward that memorandum to the concerned Ministry with a request to take appropriate action, on 28th March. Today, it is only 19th April. I must give some time to the concerned Ministry to take necessary action. And it was not even one month. I have already said that I have already moved the matter. I want to assure Hon. Members that I will definitely pursue this matter. I have already taken action on that and I will ask the concerned Ministry what action they have taken; whether they are going to institute an enquiry or not. They are the competent authority. I am not the competent authority.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Was there any violation of labour laws or not ? You are concerned with that.

SHRI VEERENDRA PATIL : I am coming to that later.

That is why I have forwarded the memorandum that was given to me containing allegations against the General Manager about the mis-management, maladministration and misappropriation to the Company Law Department. Since it is a company, it is only the Company Law Department which can take action against the General Management and the management. They are the competent authority. Therefore, I have forwarded the memorandum to them with a request to take necessary action in the matter. I am explaining, step by step, the action taken by us.

According to the understanding that was reached with the Chairman, as I understand from the Delhi Administration, the Board of Directors met on 3rd and 4th April, 1984 and subsequently, I understand, the Board has decided to accept the resignation of the then General Manager. His resignation has been accepted. Not only they have accepted the resignation of the then General manager but they have also on the suggestion of workers, if I am correct—I am subject to correction—the Board appointed one of the nominees of the workers. So, the present General Manager is a nominee of the employees who are working in the Samachar Bharati. I am told, the Samachar Bharati office has been opened now; the normalcy has been restored and the arrangements are being made to disburse the salary.

I am also given to understand that they are going to have a general body meeting very soon.

Then, the Hon. Members wanted to know about the position with regard to payment of bonus, wages, salaries and other benefits to the employees. So far as Delhi is concerned, I have got the information with me. In Delhi, the employees

have received the bonus for the year 1981. Non-working-Journalists have received the bonus for 1981 and working journalists have received the bonus in part for the year 1981. The bonus for the year 1982 has not been paid.

SHRI SATYANARAYAN JATIYA: What is the rate of bonus ?

SHRI VEERENDRA PATIL: The minimum bonus. The company is in a very bad shape. How can they give more than the minimum bonus ? Whatever bonus is due to the workers they have paid. To one category of workers they have paid the bonus in full for the year 1981 and to another category of workers they have paid the bonus in part, not full, for the year 1981. The bonus for the year 1982 has not been paid and the bonus for the year 1983 is not yet due. That is the position with regard to bonus.

With regard to wages, all categories of workers have been paid wages upto December, 1983. Non-working journalists have been paid wages upto January, 1984. Wages are due from February, 1984. This is the position about employees working in Delhi office.

I have tried my best to collect the information from different States and Union Territories. Some State Governments have supplied the information and some State Governments have not supplied the information because they are still collecting the information. But I can only say on the basis of the information that I have received that the position of employees in the States and the Union Territories is very bad. Compared to the position of employees working in Delhi office, the position of workers working in the Hindustan Samachar in the States and Union Territories is bad because, in certain cases, for months together they have not received wages, bonus and other benefits. I have collected some information and I am yet to collect some more informaton from different States and Union Territories.

With regard to the financial position, as many Hon. Members have themselves admitted, the financial position of the Samachar Bharati is very bad.

I entirely agree with them that the financial position of the Samachar Bharati is very very bad. The affairs are not at all satisfactory. I can give some figures again. These the figures which I have collected from Delhi Administration. The accumulated liabilities including the bank loan, Government loan, salaries, provident fund, and ESI etc. so far, come to Rs. 62 lakhs. That is the amount of the accumulated losses of Samachar Bharati. Their monthly expenditure is about Rs. 3 lakhs and their monthly revenue is Rs. 1½ lakhs. That means, besides this accumulated loss of Rs. 62 lakhs every month, they are incurring a loss of nearly Rs. 1½ lakhs.

SHRI G. M. Banatwalla : It is poor management.

SHRI VEERENDRA PATIL : Shri Ramavatar Shastri wanted to know about provident fund dues. The amount of provident fund dues from Samachar Bharati is Rs. 7,08,170.95 which they have to give. They are in arrears.

The amount of ESI dues is Rs. 2,10,000/- which they have not paid and our officers have proceeded against them. Prosecutions have been launched. Cases are pending and, in certain cases, recovery certificates have been issued.

Anyhow, the provident fund authorities and ESI are taking necessary steps to recover the arrears. In the present situation and looking to the financial position of the two institutions, I do not know whether it would be possible to recover the dues from them.

Some Hon. Members expressed their views on Hindustan Samachar. It is a cooperative society. It was formed in 1948. In 1981-82, its employees and others made several complaints against its management. The Registrar of Cooperative Societies received lot of complaints about mismanagement and misappropriation against Hindustan Samachar. Some Hon. Members said that it has been taken over by the Delhi Administration. It is not correct to say that

Hindustan Samachar has been taken over by Delhi Administration. The correct position is that under the Societies Registration Act, the Registrar of Dethi Administration has superseded this Hindustan Samachar on 10th May, 1982, and appointed an Administrator because under the Societies Act, the Registrar has got powers to supersede whenever there is any management irregularities and grave charges against the management. He did so in exercise of these powers. I agree with Hon. Members that several Administrators were appointed but they held the post for a short period, then resigned and went away.

Presently, the Deputy Registrar of Cooperative Societies is the Administrator.

SHRI SATYANARAYAN JATIYA : It is directly under the Government.

SHRI VEERENDRA PATIL : Govcrnment has nothing to do with this Shri Satyanarayan Jatiya is trying to interpret that since it has been superseded and the Registrar of Cooperative Societies has appointed an Administrator, it is under Delhi Administration. That is not the correct position.

MR. DEPUTY SPEAKER : It is managed by the Deputy Registrar. It is taken over by the Government. It is still a cooperative institution. The management has been given to the Deputy Registrar.

SHRI VEERENDRA PATIL : It is still a Cooperative Society under suspension by the Registrar. Deputy Registrar is working and is looking after the functions of the Society as an Administrator. That is the correct position.

PROF. SAIFUDDIN SOZ : Is Registrar, Cooperative Societies, a Government servant, or not ?

(*Interruptions*)

SHRI VEERENDRA PATIL : I need not explain to Prof. Saifuddin Soz that under Cooperative Societies Act, many Societies are superseded and suspended and their management has been taken over. Whenever Societies are suspended, it does not mean that Government has taken over the Society. That cannot be the interpretation.

With regard to bonus, in Hindustan Samachar, they have not paid the bonus and wages. Their position, compared to Samachar Bharati, I understand, is worse. But I am told and the employees also are aware of the situation—that the employees and management have signed a comprehensive settlement with regard to payment of arrears of salary, etc., on 1st February, 1984, and I understand that the employees have no major grievances against the management today. So far as I am concerned, I have not so far heard anything from the employees of the Hindustan Samachar because they feel that, whatever understanding was reached, whatever agreement was reached, between the management and the employees on 1st February, 1984, the management is trying to implement that agreement. So, we have not received anything.

SHRI SATYANARAYAN JATIYA : Are they getting the salaries now ?

SHRI VEERENDRA PATIL : As I said, they have arrived at an agreement with regard to arrears, with regard to salaries, with regard to bonus and everything. I have got a copy of the agreement, and if you want, I am prepared to place it on the Table of the House because I do not wish to take much time of the House ; it is already nearing 8.30 p.m.

I shall now explain to the Hon. Members the financial position of the Hindustan Samachar : as on 31st March, 1984, accumulated losses Rs. 60 lakhs approximately ; current deficit Rs. 39.84 lakhs ; total deficit so far Rs. 99.84 lakhs ; current annual expend iture is Rs. 58,08,000 ; annual revenue Rs. 18.24 lakhs ; their provident fund dues Rs. 10,75,201.75 ; ESI dues Rs. 1,25,439.35 Their position also is equally bad.

Hon. Members were repeatedly asking as to what Government intends to do in order to revive these two organizations and why Government shouid not go all out to

help these two news agencies. Although my Ministry is not concerned with this—we are concerned only with regard to wages, implementation of Palekar Award, if there is any grievance, dispute, lockout, strike, etc.—I anticipated that most of the Members who would be participating in the discussion would stress this point because they are also aware of the financial position of these two news agencies and they would like to know what Government has done or what Government intends to do and, therefore, I have tried to collect the information from the Information and Broadcasting Ministry ; to the extent whatever is available with me, I can pass on the information to the Hon. Members.

Consequent upon de-merger of Samachar in April 1978 into its original constituents, namely, PTI, UNI, Hindustan Samachar and Samachar Bharati, it was decided to financially help these news agencies with a view to enable them to re start their operation on a firm basis, and the following financial help has been extended by the Information and Broadcasting Ministry. Non-recurring grant-in-aid—a development loan of Rs 8.50 lakhs each was released to Hindustan Samachar and Samachar Bharati in March 1979 for the purchase of teleprinters ; the loan was to be repaid in seven equal annual instalments ; the first annual instalment was due to commence two years after tha release of the loan. A rehabilitation grant of Rs. 4,50,000 and Rs. 3,25,000 was released as grants-in-aid to Hindustan Samachar and Samachar Bharati, respectively, with a view to cover the expenses on various items required to enable the agencies to re-start operation ; it was not to be repid by the agencies ; it was completely grant-in-aid. Then an ad hoc grant of Rs. 3,50,000 and Rs. 3,46,000 was released to Hindustan Samachar and Samachar Bharati, respectively, for development of new services ; this was also not to be repid by the news agencies ; it was completaly grant-in-aid.

Then, Sir the Information and Broadcasting Ministry has given grant-in-aid, because after this demerger, they agreed to pay the differential in the salary of the employees based on the difference between the emoluments drawn by them in the *Samachar* and the emoluments they would have drawn in their respective agencies but for the formation of the *Samachar* over a period of 6 years with effect from 15.4.78 subject to the condition that 100% salary differential would be paid by the Government in the first three years to be followed by the annual reduction at the rate of 25% during the succeeding 3 years. The grant-in-aid that has been paid I do not want to give yearwise—I have got the figures for every year as to how much has been paid to the *Hindustan Samachar* and how much has been paid to the *Samachar Bharati*. I can only give the lump sum figure. From 1978-79 upto 1983-84 and upto the end of 1983-84 financial year *Hindustan Samachar* got from Information and Broadcasting Ministry Rs. 37,73,187.67 and *Samachar Bharati*—Rs. 25,15,738.74 This is the financial assistance or grant-in-aid that has been given by the Government.

Some Hon. Members referred to the Second Press Commission—their report and their recommendations. The Second Press Commission has made a series of recommendations. They run into—I think more than 100 recommendations are there. But there is one recommendation with regard to Indian language papers, I will read the extract of that recommendation :

> "If, however, neither the existing agencies nor the Indian language newspapers come up with a satisfactory scheme for the provision of an efficient news service in Indian languages, we recommend that a statutory corporation should be set up."

The aforesaid recommendation of the Second Press Commission as indeed the other recommendations made by it—all the recommendations including this recommendation are under consideration and no final decision has been taken as yet. This is the information I have received from the I & B Ministry.

Now I agree with the Hon. Member, Mr. Banatwalla and we also entirely agree and we have got implicit faith in the freedom of the Press.

We have faith in the freedom of the Press. We want that the Press should be completely free from Government influence. So there is no point in saying : why not you have a corporation, why not you take over, why not you nationalise these two news agencies ? On the other hand, as Hon. Members as also Mr. Banatwalla have suggested—and I also feel that several Hindi newspapers are there To-day what is happening with regard to PTI and UNI ? For the PTI and UNI the members are all newspapers. They are the Members. Similarly, why not all Hindi newspapers join together and then think of running these language news agencies on efficient lines ? They can come together. I do not know because I am not in a position to commit the Information and Broadcasting Ministry at this stage and I am not competent to do that. Why not they seriously think ? When we say that Hindi is our Rashtrabhasha and we must propagate Hindi and there must be a large circulation of Hindi newspapers and if this is the state of affairs, why these two news agencies in spite of our giving a lot of financial help are still suffering and they are not running efficiently ? If they are not running efficiently, I agree with Mr Banatwalla that there is something wrong with the management of these two news agencies. If PTI and the UNI can run efficiently, why not these two agencies ? Why not they run on efficient lines ? Supposing the present management is bad, those subscribers who are the Hindi newspaperwalas can join together and they should take over and run it on efficient lines or they can think of bringing them together—because our difficulty is that one is a company and another is a society, If they want to come together we are not here to stand in their way. We will welcome if they come together, but we cannot force them. We cannot direct them. After all this is a matter for management, this is a matter for employees to decide if they have to come together. If they want to come together, we will welcome. If the Hindi newspaper want to take them over and run them efficiently, as PTI and UNI are running, that will be most welcome to us and then make proposals if there are any. Therefore, I do not think there is anything more I can say on this subject. I can only say before I conclude, that the consistent policy of the government has been to emphasise complete autonomy of all news agencies including language news agencies. It is the responsibility of their own management to adopt appropriate management policies far ensuring financial viability and operational efficiency. With these few words I express my grateful thanks to the Hon. Members for participating in the debate.

SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, the discussion is inadequate. You call the Minister of Information and broadcasting, Minister of Company Law affairs and also the Home Minister to reply.

MR. DEPUTY SPEAKER : You give notice for that. The House now stands adjourned to reassemble at 11 AM on Saturday.

20.37 hrs.

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED TILL ELEVEN OF THE CLOCK SATURDAY, THE 21ST APRIL 1984/ VAISAKHA 1, 1906 (SAKA).